BCCI BULLETIN

Vol. 52 | NOVEMBER 2021 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के वरीय सदस्य श्री रमण प्रकाश साह प्रतिष्ठित कर दाता सम्मान से विभूषित

श्री रमण प्रकाश साह को मेमेन्टो भेंट कर प्रतिष्ठित करदाता का सम्मान प्रदान करते आयकर के वरिष्ठ अधिकारी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते आयकर के वरिष्ठ अधिकारीगण।

भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को आयकर विभाग (बिहार- झारखंड) द्वारा **''आजादी का अमृत महोत्सव''** के तहत सम्मान समारोह का आयोजन आयकर विभाग के कांफ्रेंस हॉल, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में किया गया। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के वरीय सदस्य श्री रमण कुमार साह को करदाता के रूप में राष्ट्र के प्रति योगदान हेतु **प्रतिष्ठित करदाता के सम्मान** से विभूषित किया गया। श्री साह को आयकर विभाग द्वारा पुष्पगुच्छ, शॉल, मेमेंटों एवं प्रशस्ति-पत्र भेंट किया गया।

उक्त कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल का भी स्वागत किया गया तथा उन्होंने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

''आजादी का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक दें आर्थिक पैकेज

अधिकार नीति आयोग के सामने राज्य सरकार ने रखी मांग

बिहार सरकार ने नीति आयोग के समक्ष एक बार फिर प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग उठयी है। दिनांक 29.10.2021 को बिहार के दौरे पर पहुँची नीति आयोग की पाँच सदस्यीय टीम से बिहार ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण विशेष राज्य का दर्जा देने की पहल केन्द्र को करनी चाहिए। जब तक यह नहीं दे सकते, तब तक विशेष आर्थिक सहायता ही दें। इसके अलावा टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) के मानकों में कुछ अहम बदलाव करें, जिससे बिहार की नीति आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट में रैंक बेहतर हो सके।

नीति आयोग के सदस्य प्रो० सुभाष चंद्र की अगुवाई में टीम यहाँ पहुँची थी।

बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। मुख्य सचिवालय के सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ इस टीम की विशेष बैठक हुई, जिसमें बिहार ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस सिद्धार्थ ने इस बात का खासतौर से उल्लेख किया कि बिहार तमाम मुश्किलों के बाद भी ऋण लेने के लिए तय मानकों का पूरी तरह से पालन करता है। इस कारण यहाँ कर्ज का बोझ कम है। अगर केन्द्रीय मदद बढ़े, तो राज्य की आर्थिक स्थिति में कई गुना विकास हो सकता है।

सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आयोग की टीम की बैठक

कुछ मानकों को बदलने की जरूरत : राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वास्तव में बिहार कई मानकों में बेहद अच्छी स्थिति में है, लेकिन रैंकिंग के गलत मानकों का खामियाजा इसे भुगतना पड़ता है। मसलन, कृषि में राज्य की स्थिति काफी बेहतर हुई है। नीति आयोग को सिर्फ कृषि से होने वाली आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

इस बार धनतेरस पर पटना का बाजार काफी गुलजार रहा। एक आकलन के अनुसार सिर्फ पटना में लगभग 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। व्यवसाय के हर क्षेत्र में अच्छी खरीदारी हुई। कोरोना महामारी के बाद सुस्त पड़े बाजार को धनतेरस ने एक अच्छा बूस्टर डोज दिया है। इससे पटना के ही नहीं वरन् पूरे देश में कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान आयी और हमें यह भी अनुभूति हुई कि भारत की आर्थिक स्थिति पुनः सुदृढ़ हो गयी है।

बिहार में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार ने कमी की है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है, इससे दाम में लागातार जो वृद्धि हो रही थी, उस पर थोड़ा विराम लगा है।

हमें खुशी है कि बिहार में राज्य सरकार और विशेषकर माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के निरंतर प्रयास से बिहार का इथेनाल अपूर्ति के कोटे में वृद्धि की गयी है। पहले 18 करोड़ लीटर इथेनाल आपूर्ति का कोटा था जिसमें अधिकतम 6 औद्योगिक इकाईयाँ ही स्थापित हो सकती थी, लेकिन अब जो कोटा की आपूर्ति में वृद्धि की गयी है उससे 17 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है । ज्यादा उद्योग लगने से रोजगार के अवसर भी ज्यादा सृजित होंगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिसकी बिहार को काफी आवश्यकता है।

मैं और कार्यकारिणी सदस्य श्री रामा शंकर प्रसाद जी दिनांक 07 नवम्बर, 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी से मिले और इथेनाल कोटे की आपूर्ति की बढ़ोतरी दिलाने में उनके सद्प्रयास हेतु उनका अभिनन्दन किया एवं आभार व्यक्त किया।

चैम्बर के लिए गौरव की बात है कि चैम्बर के वरीय सदस्य श्री रमण प्रकाश साह को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को आयकर विभाग (बिहार-झारखंड) द्वारा **''आजादी का अमृत महोत्सव''** के तहत सम्मान समारोह का आयोजन कर करदाता के रूप में राष्ट्र के प्रति योगदान हेतु **प्रतिष्ठित करदाता के सम्मान** से विभूषित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मेरा भी स्वागत किया गया और मैंने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

बिजली कम्पनियों द्वारा बिजली की दरों में हर वर्ष की तरह इस बार भी वृद्धि हेतु बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव दिया गया है। चैम्बर की ओर से सुनवाई की तिथि को भरपूर प्रयास किया जायेगा कि बिजली की दरों में वृद्धि ना हो। मेरा सभी उद्योग/व्यापार संगठनों तथा व्यवसायियों से आग्रह है कि आपके क्षेत्र में भी जब सुनवाई की तिथि हो तो अपना पक्ष मजबूती के साथ अवश्य रखें ताकि आयोग बिजली की दरों को न बढ़ाये।

देश का चावल तथा ताजा फल-सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने के फलस्वरूप चालू वित वर्ष के पहले सात माह (अप्रैल-अक्टूबर) में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का निर्यात 14.7 प्रतिशत बढ़कर 11.65 अरब डालर पर पहुँच गया है। यह भी सुखद है, क्योंकि कोरोना काल में देश का निर्यात भी काफी प्रभावित था।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला लिया है। किसान इस कानून की समाप्ति के लिए कई महीनों से दिल्ली में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इससे किसानों का धरना-प्रदर्शन बन्द होने की सम्भावना बनेगी एवं आम नागरिकों को आवागमन में जो कठिनाइयाँ हो रही थी, वह समाप्त होगा।

चैम्बर ने माननीय सदस्यों से पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदातृ समिति की माह दिसम्बर, 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली बैठक हेतु अपनी समस्याएँ एवं सुझाव को चैम्बर में 10 दिसम्बर, 2021 तक भेजने का आग्रह Whats App के द्वारा किया है ताकि चैम्बर की ओर से भी उक्त बैठक में समस्याएं एवं सुझाव समर्पित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2022-23 का केन्द्रीय बजट (Union Budget) 01 फरवरी, 2022 को माननीया केन्द्रीय वित मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। पूर्व की तरह केन्द्रीय वित मंत्री को चैम्बर द्वारा 2022-2023 के लिए Pre-Budget Memorandum भेजना है। अतः सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव अपेक्षित है। कृपया यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राम दयाल मस्करा जी (98) का निधन हो गया। स्व० मस्करा जी 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1999-2000 एवं 2000-2001 में चैम्बर के उपाध्यक्ष रहे। 13 नवम्बर, 2021 को चैम्बर की ओर से बैठक कर दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिरस्थाई शांति एवं उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

बन्धुओं, कोरोना अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अतः कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के गाइड लाइन्स का पालन करते रहें। यदि अभी तक टीकाकरण नहीं करायें हों तो कृपया शीघ्र करायें।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

बिहार ने रखीं दो मांगें

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में मैचिंग ग्रांट 90:10 अनुपात में हो : केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में केन्द्र और राज्य की अनुदान राशि का अनुपात 90:10 के हिसाब से करें। यानी किसी सीएसएस में राज्य सरकार को सिर्फ 10 प्रतिशत ही मैचिंग ग्रांट देना पड़े, क्योंकि बिहार गरीब राज्य है। ऐसा करने से बिहार अधिक-से-अधिक संख्या में केन्द्रीय योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। अभी केन्द्रीय योजनाओं के मैचिंग ग्रांट का बोझ कुल योजना आकार का करीब 30 से 35 प्रतिशत है। इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, जिससे विकास प्रभावित होता है।

2. बाजार से ऋण लेने के प्रावधान में केन्द्र थोड़ी छूट प्रदान करे : कोरोना से प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बिहार को बाजार से ऋण लेने के प्रावधान में केन्द्र थोड़ी छूट प्रदान करे। हालांकि, केन्द्र ने एफआरबीएम एक्ट के तहत ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर इस बार तीन प्रतिशत से साढ़े चार प्रतिशत कर दिया है, लेकिन डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने के लिए कई प्रावधान लागू कर दिये हैं। इसमें खासतौर से छूट देने की आवश्यकता है। इससे राज्य बाजार से वर्तमान स्थिति की तुलना में 12 से 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण ले सकेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 30.10.2021)

बिहार के लिए इथेनॉल आपूर्त्ति का कोटा बढ़ाये जाने पर चैम्बर अध्यक्ष द्वारा आभार व्यक्त

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार के लिए इथेनॉल आपूर्त्ति का कोटा बढ़ाये जाने का स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री रामा शंकर प्रसाद ने इस प्रयास के लिए दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया एवं उनके प्रति आभार प्रकट किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि पहले बिहार का कोटा लगभग 18 करोड़ लीटर था जिसमें इथेनॉल के अधिकतम 6 औद्योगिक इकाईयाँ ही स्थापित हो सकती थी। अब इसके कोटे में वृद्धि से इथेनॉल के 17 उद्योग लगाने का रास्ता साफ हो गया है। यह बिहार सरकार एवं यहाँ के माननीय उद्योग मंत्री के प्रयासों का ही प्रतिफल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि राज्य मे अधिकाधिक उद्योग लगने से राज्य में आर्थिक विकास को बल मिलेगा तथा रोजगार का सृजन होने से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी बिहार को काफी आवश्यकता है।

इथेनॉल का कोटा बढ़ाये जाने के लिए माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं आभार व्यक्त करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री रामा शंकर प्रसाद।

हर सेक्टर में संतोषजनक कारोबार

"दो साल बाद धनतेरस पर बाजार में इतनी उत्साह है। धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। एक अनुमान के अनुसार पटना के बाजार में लगभग 1170 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार विभिन्न सेक्टरों में हुआ है।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 3.11.2021)

चैम्बर ऑफ कॉमर्स नि:शुल्क सिखाएगा टैली कोर्स

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्इस्ट्रीज की ओर से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क टैली कोर्स सिखाने की भी व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि कंप्यूटर के इस युग में कई कार्यो को सरलता और तेजी से किया जा सकता है। टैली का मुख्य कार्य किसी कंपनी के खाते को व्यवस्थित करना होता है। टैली सीखने के बाद युवाओं को रोजगार पाने में आसानी होगी। एडमिशन के लिए इच्छुक छात्र, छात्राएँ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि टैली कोर्स दिसम्बर से सिखाया जाएगा। 3 माह का कोर्स होगा। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक डेढ़ घंटे के दो बैच में पढ़ाई होगी। प्रत्येक बैच में अधिकतम 30 छात्र-छात्राओं को लिया जाएगा। इस कोर्स के आवेदनकर्ता को कम से कम इंटरमिडिएट पास, अकाउंट्स कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए।

(सा : दैनिक भास्कर, 27.11.2021)

कपड़ों और चमड़े के सामान पर 5 से बढाकर 12% होगा जीएसटी, इसपर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

"इसका सीधा असर कंज्यूमर पर ही पड़ने वाला है। इससे पूर्व में भी जब भी जीएसटी बढ़ाई गई है, हालांकि इस विषय पर कोई विचार नहीं आया है।" **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : आई नेक्स्ट, 25.11.2021)

बिहार का एथेनाल कोटा बढ़ा

काफी जद्दोजहद के बाद पेट्रोलियम कंपनी ने बिहार के एथेनाल आपूर्ति कोटा को 16.80 करोड़ लीटर (वार्षिक) बढ़ा दिया है। बिहार के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले महीने पेट्रोलियम कंपनी ने एथेनाल आपूर्ति किए जाने को ले एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट का जो परिणाम जारी किया था उसमें बिहार को मात्र 18.48 करोड़ लीटर आपूर्ति का ही आवंटन मिला था। गौरतलब यह है कि बिहार में पेट्रोलियम कंपनियों की एथेनाल की मांग 18.50 करोड़ लीटर है।

कंपनी छह से 17 हो गयी और मात्रा 18.48 करोड़ से बढ़कर 35.28 करोड़ लीटर : उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार का कोटा बढ़ाए जाने को ले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरदीप पुरी और पीयूष गोयल से भेंट की थी। इसका असर यह हुआ कि बिहार में दस और कंपनियों को एथेनाल आपूर्ति का जिम्मा मिल गया। पूर्व में छह कंपनियों को जिम्मा मिला था, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। एथेनाल आपूर्ति का कोटा 18.48 करोड़ से बढ़कर 35.28 करोड़ लीटर वार्षिक हो गया।

बढ़ेगी आमदनी : • अब छह की जगह 17 एथेनाल कपनियों से होगी खरीद • कोटा बढ़वाने के लिए शाहनवाज हुसैन ने की थी केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट

इन कंपनियों को अनुमति (वार्षिक आपूर्ति)

1.	भारत ऊर्जा डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड	1.65 करोड़ लीटर
2.	बिहार डिस्टलरीज एण्ड बाटलर्स	6.60 करोड़ लीटर
3.	मुजफ्फरपुर बायो फ्यूएल्स	1.98 करोड़ लीटर
4.	पटेल एग्री इंडस्ट्रीज यूनिट - 1	3.30 करोड़ लीटर
5.	पटेल एग्री इंडस्ट्रीज यूनिट - 2	3.30 करोड़ लीटर
6.	पटेल एग्री इंडस्ट्रीज यूनिट - 3	1.65 करोड़ लीटर
7.	इस्टर्न इंडिया बायो फ्यूएल्स	0.66 करोड़ लीटर
8.	नैचुरल्स डेयरी	0.99 करोड़ लीटर
9.	आदित्री एग्रोटेक	4.29 करोड़ लीटर
10.	भारत प्लस एथेनाल	0.99 करोड़ लीटर
11.	चंद्रिका पावर	0.99 करोड़ लीटर
12.	वीनसविधान एग्रोटेक	0.99 करोड़ लीटर
13.	न्यूवे होम्स	2.64 करोड़ लीटर
14.	साहू एग्रो बिजनेस	1.32 करोड़ लीटर
15.	सोना सती आर्गेनिक्स	0.99 करोड़ लीटर
16.	ब्रजेन्द्र कुमार बिल्डर्स	0.98 करोड़ लीटर
17.	माइक्रोमैक्स बायो फ्यूएल्स	1.98 करोड़ लीटर

(साभार : दैनिक जागरण, 3.11.2021)

पाँच साल में लगी 327 औद्योगिक यूनिटों में 10,179 को मिला रोजगार

राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी **2288.64 करोड़ का निवेश**

राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद से 28 अक्टूबर, 2021 तक प्रदेश में 327 औद्योगिक इकाइयाँ धरातल पर उतरीं। इनमें 10,179 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। स्थापित होने वाली इन यूनिट में उद्यमियों ने 2288.64 करोड़ का निवेश किया है। इस समयावधि में स्थापित होने वाली यूनिटों में एक-तिहाई से अधिक 38 फीसदी राशि का निवेश केवल खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में हुआ। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में प्रभावी हुए राज्य निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत औसतन सालाना करीब साढ़े चार सौ करोड़ का निवेश धरातल पर उतर रहे हैं। वहीं इस निवेश के जरिये प्रति वर्ष रोजगार सृजन औसतन दो हजार से कुछ अधिक का है। सबसे ज्यादा 869.58 करोड़ का निवेश खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में किया गया है। करीब पाँच सालों में स्थापित 327 यूनिट में 46 फीसदी 150 कारखाने केवल खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगे हैं।

क्षेत्र विशेष में फर्स्ट क्लियरेंस धरातल पर उतरे प्रस्ताव

प्रक्षेत्र	स्टेज वन क्लियरेंस	कार्यरत इकाई	निवेश करोड़ में
खाद्य प्रसंस्करण	770	150	869.58
सामान्य विनिर्माण	415	77	338.57
प्लास्टिक एवं रबर	205	43	155.82
पर्यटन	58	13	109.34
हेल्थ केयर	87	17	161.84
टेक्सटाइल	45	3	2.67
अक्षय ऊर्जा	37	2	108.88
लघु यंत्र विनिर्माण	19	3	4.06
सूचना प्रौद्योगिकी	13	12	29.12
तकनीकी शिक्षा	9	1	1.24
काष्ठ आधारित	9	3	7.08
सीमेंट	12	3	500.44

फर्स्ट क्लियरेंस के बाद हर छठवाँ प्रस्ताव धरातल पर उतरा

अब तक 2141 ऑनलाइन आवेदन हासिल हुए : आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन के लिए शुरुआत से लेकर अब तक 2141 ऑनलाइन आवेदन हासिल हुए। इनमें से पर्षद ने 1857 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिया। पूंजी निवेश के लिए फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस पाये इन प्रस्तावों के जरिये 56023.59 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित किये गये थे। प्रस्तावों का विश्लेषण करें तो फर्स्ट क्लियरेंस के बाद हर छठवाँ प्रस्ताव ही धरातल पर उतर सका है। उल्लेखनीय है कि फर्स्ट क्लियरेंस के बाद 593 निवेशकों के प्रस्ताव बैंकों ने लोन के लिए मंजूर किये हैं। इनमें 446 ने लोन लिया। हालांकि धरातल पर 327 यूनिट ही उतर सकीं।

इन क्षेत्रों में परवान नहीं चढ़ सके क्लियरेंस : उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर में फर्स्ट क्लियरेंस सात यूनिटों को मिला। हालांकि धरातल पर निवेश नहीं आ सका। इसी तरह प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में तीन चीनी मिलों के विस्तार के लिए चार, चमड़ा आदि में 4 प्रस्ताव आये, लेकिन निवेश नहीं हो सका। **(साभार : प्रभात खबर, 10.11.2021)**

एथेनाल कंपनियों को बैंक से ऋण में आ रही परेशानी

निकट भविष्य में एथेनाल के उत्पादन में आ रही बिहार की 17 कंपनियों को बैंकों से ऋण में आ रही समस्या को भी सरकार सुलझाएगी। इस क्रम में एक-दो दिनों के भीतर सभी बैंकों व वित्त विभाग के आला अधिकारियों को उद्योग विभाग एक प्लेटफार्म पर लाकर आनलाइन बैठक होगी। निवेशकों को भी इससे जो जोड़ा जा रहा है। जल्द ही पेट्रोलियम कंपनी के साथ उन 17 कंपनियों का करार होना है, जिन्हें एथेनाल आपूर्ति के लिए चुना गया है।

बैंकों ने सौ फीसद वायबैक की गारंटी मांगी थी : जिस समय राज्य सरकार ने एथेनाल पालिसी को जारी किया था उस समय भी उद्योग विभाग के आला अधिकारियों ने बैंकों के साथ बैठक की थी। उक्त बैठक में भी उद्यमियों को ऋण दिए जाने पर बात हुई थी, लेकिन बैंक के स्थानीय अधिकारियों ने उक्त बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बाद में बैंकों की और से यह बात आई कि अगर पेट्रोलियम कंपनी से सौ फीसद बाय बैक की गारंटी मिल जाती है तो वे लोग एथनाल कंपनी को ऋण दिए जाने की बात सोच सकते है।

मोटे तौर एक कंपनी को दो सौ करोड़ तक निवेश करना है : उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि एथनाल बनाने वाली जिन 17 कंपनियों ने पेट्रोलियम कंपनी की निविदा में अपना स्थान सुनिश्चित किया है उसके तहत कम से कम 34 सौ करोड़ रुपये का निवेश होना है। इस लिहाज से औसतन एक कंपनी को दो सौ करोड़ रुपये का निवेश करना है।

उत्पाद क्रय की गारंटी हो जाने के बाद फिर से ऋण की बात आगे बढ़ेगी : एथेनाल आपूर्ति के लिए जिन 17 कंपनियों का पेट्रोलियम कंपनी ने निविदा के माध्यम से चयन किया है, उनमें 15 कंपनियाँ बिल्कुल ही नई हैं। उन्हें एक साल के अंदर अपना उत्पादन आरंभ करना है। इसके लिए उन्हें बैंक ऋण की जरूरत होगी। उत्पाद खरीदने की गारंटी हो जाने से उद्योग विभाग अब बैंकों के साथ इनके ऋण की बात को आगे बढ़ाएगा। वैसे उद्योग विभाग इन कंपनियों को यह कह रहा कि जितनी मात्रा में उन्हें एथेनाल आपूर्ति की अनुमति मिली है उससे दोगुना वे उत्पादन क्षमता विकसित करें। आने वाले समय में डीजल में भी एथेनाल की मिलावट पर बात आगे बढ़ सकती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.11.2021)

इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीमतों में हुआ इजाफा

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल कम करने में मदद मिलेगी और इससे गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में गन्ने के रस से निकाले जाने वाले इथेनॉल की कीमत को दिसम्बर, 2021 से शुरू होने वाले मार्केटिंग वर्ष में 62.65 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा कर 63.45 रुपये प्रति लीटर करने की मंजूरी दी गयी।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कहा, सी-हेवी शीरे के इथेनॉल की कीमत 45.69 रुपये से बढ़ा कर 46.66 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वहीं, बी-हेवी के इथेनॉल का दाम 57.61 रुपये से बढ़ा कर 59.08 रुपये प्रति लीटर करने की मंजूरी दी गयी है। सरकारी तेल कंपनियाँ निर्धारित मूल्य पर ही इथेनॉल की खरीद करती है। **(प्रभात खबर, 12.11.2021)**

पैकेटबंद सामान के पैक पर 'प्रति इकाई मूल्य' छापना हुआ जरूरी

अगर कोई ग्राहक आटे की 3.5 किलो की बोरी या 88 ग्राम बिस्कुट का पैकेट खरीदता है, तो उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वह उत्पाद अन्य उत्पादों की तुलना में महंगा है या सस्ता। लेकिन अगले साल अप्रैल से उपभोक्ताओं को ऐसे किसी सामान की प्रति इकाई की कीमत (यूनिट सेल प्राइस) का पता लगाना बहुत आसान हो जायेगा। केन्द्र उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 'विधि माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तुएँ) नियम, 2011' में संशोधन किया है, जिसके तहत कंपनियों को पैकटबंद सामान के पैक पर 'प्रति इकाई बिक्री मूल्य' को छापना जरूरी हो जायेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक किलो से अधिक की मात्रा का पैकटबंद सामान बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी के साथ प्रति किलो या जिस भी इकाई के हिसाब से बिक्री की जायेगी, उसका 'इकाई बिक्री मूल्य' को दर्शाना होगा।

दूसरा बदलाव : दूसरा बदलाव पैकेज्ड कमोडिटी पर एमआरपी प्रिंट करने का तरीका है। वर्तमान प्रारूप है कि अधिकतम या अधिकतम खुदरा मूल्य XX.XX रुपये छपा हो, लेकिन यदि किसी कंपनी ने दशमलव के पहले के मूल्य का ही उल्लेख किया है और दशमलव के बाद के .XX रुपये का उल्लेख नहीं किया है, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है और नोटिस जारी किये जाते हैं। अब, कंपनियों से रुपये में कीमत लिखने को कहा गया है और उन्हें किसी भी निर्धारित प्रारूप से मुक्त कर दिया है।

तीसरा बदलाव : तीसरा बदलाव पैकबंद सामान पर 'संख्या' या 'यूनिट' में सामान की मात्रा का उल्लेख करने के संबंध में है।

चौथा बदलाव : आखिरी व चौथा बदलाव पैकटबंद आयातित जिंस को लेकर है। अभी कंपनियों के पास या तो आयात की तिथि या निर्माण की तिथि या प्री-पैकेजिंग की तिथि का जिक्र करने का विकल्प होता है। अब ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। केवल निर्माण की तारीख का उल्लेख करना होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 9.11.2021)

चीनी मिलों के लिए 70% गन्ना खरीदना अनिवार्य

• 05 लाख हैं प्रदेश में गन्ना किसान • 02 करोड़ टन होता है गन्ने का उत्पादन • 03 लाख हेक्टेयर में होती है खेती • 40 से 45 फीसदी ही पेराई करती हैं मिल।

नई व्यवस्था : • गन्ना आपूर्ति नीति के तहत तय तारीख पर ही किसानों को पर्ची दी जाएगी • एक-दूसरे के आरक्षित क्षेत्र में गन्ना नहीं खरीदने की सख्त हिदायत दी गई है।

बिहार के चीनी मिलों को उनके लिए आरक्षित क्षेत्र में 60-70% गन्ना खरीदना होगा। सूबे में गन्ना पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ना उद्योग विभाग में गन्ना आपूर्ति की नीति के तहत इसे अनिवार्य किया है। सभी चीनी मिलों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। इससे प्रदेश के पाँच लाख गन्ना किसानों को गन्ना बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.11.2021)**

बिहार में पान के तेल का उत्पादन होगा

प्रयोग सफल हुआ तो छोटी मशीनें किसानों को दी जाएंगी

राज्य में पान की खेती : • 05 लाख हेक्टेयर में होती है खेती • 03 लाख पत्ते होते हैं एक हेक्टेयर में • 01 प्रतिशत ही पान में होता है तेल • 07 कंपनियाँ देश में करती हैं तेल का व्यापार

राज्य में पान से तेल निकालने की इकाई लगेगी। इसी के साथ पान की खेती शेडनेट में करने की व्यवस्था होगी। दोनों प्रयोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नालंदा जिले के इस्माइलपुर स्थित पान अनुसांधन केन्द्र में होगा। राज्य सरकार ने दोनों व्यवस्था के लिए राशि बीएयू को दे दी है। शेडनेट से खेती का प्रदर्शन सरकारी खर्चे पर पान उत्पादक जिलों में भी होगा। प्रयोग सफल हुआ तो किसानों को इससे जोड़ा जाएगा।

यह योजना मुख्य रूप से नवादा, नालंदा, गया व मधुबनी के अलावा वैशाली, खगड़िया, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, सारण, सीवान और मुंगेर के लिए है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.11.2021)

सात क्लस्टर में शुरू होगा तकनीक आधारित उत्पादन

प्रदेश के सात औद्योगिक क्लस्टरों में अगले 3 महीने में हाईटेक तरीके से उत्पादन शुरू हो जाएगा। पूर्वी चपारण जिले के बथना एवं मेहसी में सीप बटन क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। नालंदा के कन्हैयागंज में झूला क्लस्टर व सिलाव में खाजा क्लस्टर को तकनीकी दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है।

लखीसराय में राइस मिल क्लस्टर, प. चंपारण के कसेराटोला में कांसा-पीतल क्लस्टर व वैशाली के रामराय सिंघाड़ा में कारीगरी के पारंपरिक केन्द्रों को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। इन स्थानों पर उद्योग विभाग की ओर से कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इन सेंटरों में स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की ओर से हाईटेक मशीन लगाई जा रही हैं। इससे उद्यमियों को बिना निवेश के उच्च तकनीक वाले उपकरणों की सुविधा मिलेगी। इससे जहाँ एक ओर उद्यमियों की उत्पादन लागत कम होगी, वहीं वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सकेंगे। अभी उक्त जगहों पर पारंपरिक तरीके से उत्पादन हो रहा है।

पहचान से बनेगा ब्रांड बिहार : पारंपरिक उद्यम वाले इन सात ठिकानों को विकसित कर राज्य सरकार की योजना ब्रांड बिहार के विस्तार की है। इसलिए उत्पादों को निर्यात गुणवत्ता के स्तर पर तैयार करने की है। इसके अलावा पैकेजिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय और देश के अंदर के बाजार में इन उत्पादों की साख बढ़ाने की है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.11.2021)**

मेहसी में सीप बटन उद्योग की होगी पुनर्वापसी : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीप बटन उद्योग को जीवन प्रदान करने के लिए सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। इसकी खोई चमक वापस लाई जाएगी। अंतराराष्ट्रीय मानक के अनुरूप उत्पादन को लेकर सरकारी स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वे मेहसी प्रखंड के बथना में करीब चार करोड़ की लागत से निर्मित सीप बटन क्लस्टर का निरीक्षण कर रहे थे। साथ में उद्योग निदेशक रूपेश कुमार श्रीवास्तव भी थे। उद्योग मंत्री ने सीप से उत्पादित बटन व अन्य सजावटी सामान का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस प्राचीन उद्योग के विकास को लेकर किए गए वादे और विधायक श्यामबाबू यादव द्वारा सीप बटन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार और क्लस्टर निर्माण समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाने की मांग को गंभीरता से लिया गया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 1.11.2021)**

बियाडा की पुरानी जमीन होगी सस्ती कीमतों में 50 फीसदी तक होगी कमी

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग औद्योगिक भूमि प्रबंधन से जुड़ी तीन नयी पॉलिसी लेकर आ रहा है। प्रस्तावित तीनों पॉलिसियों में सबसे अहम बियाडा की प्रस्तावित लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है। इसके तहत बियाडा अपनी पुरानी जमीनों की कीमतों में 40 से 50 फीसदी तक की कभी करने जा रहा है। प्रस्तावित पॉलिसी के तहत निवेशकों को अब जमीन पाने के लिए अपने निवेश की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले सौंपनी होगी।

जमीन की रेट में कभी करके बियाडा एक तरफ नये निवेशकों को लुभाने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमीन की कीमतों में कभी आने से वह निवेशकों को झटका देने जा रहा है, जो औद्योगिक जमीन पर अभी तक बिना उत्पादन किये केवल इसलिए काबिज है कि जब जमीन महंगी होगी, तो उसे मुनाफे के सौदे के तहत सरेंडर करेंगे। जमीन की दर कम हो जाने से बेमतलब में जमे ऐसे निवेशकों को जमीन रोक कर रखना घाटे का सौदा होगा।

• जमीन आक्टन से पहले निवेशकों को सौंपनी होगी डीपीआर • प्राइवेट लैंड परचेज पोंलिसी के तहत 50 एकड़ जमीन सर्किल रेट पर देने की तैयारी • वन टाइम सेटलमेंट पोंलिसी के तहत जमीन सरेंडर कराने की बन रही आसान रणनीति

निवेशकों को मिलेगी सस्ती जमीन : "औद्योगिक भूमि प्रबंधन के लिए तीन नयी पॉलिसी बनायी जा रही है। सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए जमीन सस्ती करने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार चाहती है कि निवेशकों को सस्ती जमीन मिले। वही वन टाइम सेटलमेट और प्राइवेट लैड परचेज पॉलिसी के जरिये उद्योगों के लिए आसानी से जमीन मुहैया कराने की रणनीति पर विचार चल रहा है।"

– बृजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग

निवेशकों को सर्किल रेट पर मिलेगी औद्योगिक जमीन : प्रस्तावित नयी अलॉटमेंट नीति के तहत बियाडा केवल गभीर निवेशकों को ही जमीन आवंटित करेगा। वह निवेशक को तभी जमीन मुहैया करायेगा, जब वह अपनी डीपीआर विभाग को सौंपेंगे। इसके अलावा उद्योग विभाग प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी लेकर भी आ रहा है। वह निवेशको को सर्किल रेट पर औद्योगिक जमीन

मुहैया कराने जा रहा है। इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए निवेशक को कम-से-कम 50 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। इसमें निवेशकों को जरूरी छूट दी जा सकती है। तीसरी और सबसे अहम पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी है। इसके तहत उद्योग विभाग ऐसे औद्योगिक निवेशकों को जमीन सरेंडर करने के आसान और बेहतर विकल्प देने जा रहा है। औद्योगिक यूनिट के क्षेत्र में जमीन का एक्सटेंशन कुछ शुल्क लेकर कराया जा सकता है। **(प्रभात खबर, 13.11.2021)**

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा - आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहेगी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दिनांक 2.11.2021 को कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत या उससे अधिक रहेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके आठ प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के मौके पर कुमार ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल के दौरान कंपनियों के फलने-फूलने के लिए मजबूत आर्थिक नींव रखी गयी है। कोविड-19 महामारी के कारण दो साल आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर समस्या आयी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2021 में 9.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। कुमार ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत अगले पाँच साल में तीव्र वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, मुद्रा कोष ने 2021 में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत और अगले साल 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि चीजें बदल रहीं हैं और लोग भारत में निवेश के लिए तैयार हैं। भारत की मध्यम अवधि में संभावित सतत वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 3.11.2021)**

जोखिम के प्रति सतर्क रहें बैंक : दास

कहा – जोखिम के संकेत मिलते ही उसे खत्म करने के लिए उठाएं सभी कदम

बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने देश के प्रमुख बैंकों से कहा है कि वे जोखिम के किसी भी उभरते संकेत के प्रति सतर्क रहें। नियामक ने बैंकों को ऐसे संभावित जोखिम के संकेत मिलते ही उसे टालने के भी सभी उपाय करने को कहा है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी सरकारी व प्रमुख निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग बैठकें कीं।

इस बैठक के शुरूआती संबोधन में दास ने देश के बैंकिंग सेक्टर के परिचालन और वित्तीय सुधार को सराहा उन्होंने कहा कि इससे इकोनामी में स्थायित्व आता दिख रहा है। आर्थिक सुधार की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बैंक उचित समर्थन बनाए रखें। इसके साथ-साथ यह भी बेहद जरूरी है कि बैंक जोखिम के किसी भी उभरते संकेत को लेकर बेहद सतर्क रहें और उसे खत्म करने के सभी उपाय करें। यह सिर्फ उस बैंक विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र की स्थिरता और स्थायित्व के लिए जरूरी है। बैठक में कर्ज वितरण, विशेष रूप से छोटी व मझोली कंपनियों को लगातार कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा दबाव वाली संपत्तियों, वसूली में कुशलता और फिनटेक कंपनियों के साथ बैंकों के तालमेल के मुद्दों पर भी आरबीआइ गवर्नर ने बैंकों के साथ विमर्श किया।

पीसीए की संशोधित रूपरेखा जारी : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बैंकों के लिए एक संशोधित प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) रूपरेखा जारी की। इससे बैंकों की गतिविधियों में समय रहते निरीक्षण के लिए हस्तक्षेप किया जा सकेगा। यह बाजार में एक प्रभावी अनुशासन के माध्यम के रूप में भी काम करेगा। एक बयान में आरबीआइ ने कहा कि संशोधित रूपरेखा में निगरानी के लिए पूंजी और असेट क्वालिटी यानी संपत्ति की गुणवत्ता प्रमुख क्षेत्र होंगे। संशोधित पीसीए ढांचा अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू हो जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.11.2021)

80% इकोनॉमी अब संगठित

एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के चलते डिजिटलीकरण अभियान में जोरदार तेजी और गिग कारोबार बढ़ने से अर्थव्यवस्था को संगठित रूप मिला है, और 2021 में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर महज 15-20 प्रतिशत रह गई, जो 2018 में 52.4 प्रतिशत थी। एसबीआई की मुख्य अर्थशास्त्री सौम्या घोष ने कहा कि 2020-21 में असंगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा जीवीए या औपचारिक जीडीपी के 15-20 प्रतिशत तक गिर गया है, जो 2017-18 में 52.4 प्रतिशत तक था। उन्होंने कहा कि तेजी से डिजिटलीकरण और गिग अर्थव्यवस्था के उभरने से ऐसा हुआ है।

अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 में 53.9 प्रतिशत था। नोटबंदी के बाद कई उपायों से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तेजी आई है, और महामारी के चलते गिग कारोबार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को बल मिला। बदलाव की यह रफ्तार दूसरे देशों की तुलना में काफी अधिक थी। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो तब कार्यबल का 93 प्रतिशत था। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा झटका जीएसटी था और अंतिम तथा सबसे कठिन संकट महामारी के चलते आया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न चैनलों के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में कम से कम 13 लाख करोड़ रुपये आए हैं, जिसमें हाल में शुरू हुई ई-श्रम योजना भी शामिल है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.11.2021)**

जीएसटी वसूली दूसरी बार सर्वाधिक रही

त्योहारी सीजन सरकार के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 24% बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर दौड़ने लगी है। जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार इतना ज्यादा कर संग्रह हुआ है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, लगातार चौथे महीने एक लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी की वसूली हुई है व त्योहारी सत्र की तेजी को दर्शाता है। इससे पहले अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ था जो सबसे ज्यादा था। अक्टूबर में सकल जीएसटी राजस्व 1,30,127 करोड़ रहा। जिसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 67,361 करोड़ (माल के आयात पर जमा 32,998 करोड़ रुपये सहित) है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.11.2021)**

कर विभाग ने ई-निपटान सुविधा की शुरूआत की

आयकर विभाग ने देशभर के लाखों छोटे करदाताओं को राहत देते हुए ई-निपटान की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।

विभाग द्वारा शुरू की गई ई-निपटान स्कीम की शुरुआत होगी। इसके तहत गठित कमेटी 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय के मामलों की सुनवाई करेगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह स्कीम उन लंबित आवेदनों पर लागू होगी जिनके संबंध में आवेदक ने अधिनियम की धारा 245 एम की उप-धारा (1) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अंतरिम बोर्ड को आवंटित या स्थानांतरित किया गया है। सीबीडीटी ने बताया कि अंतरिम बोर्ड के समक्ष कार्यवाही गुप्त होगी। अंतरिम बोर्ड की अनुमति के बिना आवेदक, उनके कर्मचारी कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.11.2021)

आरबीआई डिजिटल पेमेंट संग नकदी भी बढ़ी

नोटबंदी के पाँच साल बाद बैंक नोटों के चलन में वृद्धि

नोटबंदी के पाँच साल बाद डिजिटल भुगतान में वृद्धि के बावजूद चलन में नोटों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि, वृद्धि की रफ्तार धीमी है। दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने एहतियात के रूप में नकदी रखना बेहतर समझा। इसी कारण चलन में बैंक नोट पिछले वित्त वर्ष के

दौरान बढ़ गये। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान में भी बड़ी वृद्धि हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) का यूपीआइ देश में भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है। इन सबके बावजूद चलन में नोटों का बढ़ना धीमी गति से ही सही, लेकिन जारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवम्बर, 2016 को आधी रात से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जो उस समय चलन में थे। इस बड़े फैसले का प्रमुख उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और काले धन पर अंकुश लगाना था।

अभी 29.17 लाख करोड़ रुपये के नोट हैं चलन में : भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मूल्य के हिसाब से चार नवम्बर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे, जो 29 अक्टूबर, 2021 को बढ़ कर 29.17 लाख करोड़ रुपये हो गये। इसका मतलब है कि पाँच साल में इसमें करीब 11.43 लाख करोड़ रुपये यानी 64.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आरबीआइ के मुताबिक, 30 अक्टूबर, 2020 तक चलन में नोटों का मूल्य 26. 88 लाख करोड़ रुपये था। 29 अक्टूबर, 2021 तक इसमें 2,28,963 करोड़ रुपये यानी करीब 8.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, सालाना आधार पर 30 अक्टूबर, 2020 को इसमें 4,57,059 करोड़ रुपये और इससे एक साल पहले एक नवम्बर 2019 को 2,84,451 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

मात्रा के हिसाब से बैंक नोटों का चलन 7.2 प्रतिशत बढ़ा : इसके अलावा चलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-21 के दौरान क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 2019-20 के दौरान इसमें क्रमश : 14.7 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी थी। वित्त वर्ष 2020-21 में चलन में बैंक नोटों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह महामारी रही। महामारी के दौरान लोगों ने सावधानी के तौर पर अपने नकदी रखी।

(साभार : प्रभात खबर, 8.11.2021)

रिपोर्ट • लगातार तीसरे महीने बढ़े दाम,
महँगाई दर एक दशक के शिखर पर : यूएन

मांग बढ़ने, उत्पादन घटने से दुनिया में खाने की चीजें सालभर में 30% महंगी

एक महीने में खाद्य तेल 9.6% तो गेहूँ 5 फीसदी महंगा हो गया : कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन अभी तक पटरी पर नहीं आई है। वहीं, महँगाई लोगों की कमर तोड़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक एक साल में खाने-पीने की चीजें 30 फीसदी महँगी हुई हैं। दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मांग में बढ़ोतरी व फसल कमजोर रहना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के सूचकांक के अनुसार, अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी हैं। सितम्बर के मुकाबले बीते अक्टूबर में महंगाई में 3% की वृद्धि हुई। यह महँगाई खाद्य तेल और गेहूँ के दाम तेजी से बढ़ने के चलते हुई। एएफओ खाद्य मूल्य सूचकांक कीमतों में उतार-चढ़ाव को मासिक आधार पर ट्रैक करता है। एक साल में इस इंडेक्स में एक तिहाई की तेजी आई है। जुलाई 2011 के बाद महंगाई उच्चतम स्तर पर है। गेंहू अक्टूबर में ही 5% बढ़ चुका है, क्योंकि कनाडा, रूस और अमेरिका जैसे निर्यातक देशों में फसल कमजोर है। पाम, सोया समेत अन्य तेल भी 9.6% महंगे हुए।

वैश्विक महँगाई 4.8% बढ़ सकती है, 2007 के बाद सबसे ज्यादा

जर्मनी, दक्षिण कोरिया बेहाल, चीन में अक्टूबर में महँगाई बढ़ी : • चीन के वाणिज्य मंत्रालय के खाद्य कृषि उत्पादों के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के हर सप्ताह में खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सब्जियाँ तो 25% महँगी हुई। • जर्मनी में महँगाई 50 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। अगस्त में यह 12% थी, सितम्बर में बढ़कर 14.2% हो गई। जर्मनी में ऐसी महँगाई अक्टूबर 1974 में दिखी थी। • दक्षिण कोरिया में महँगाई बीते महीने 10 साल के चरम पर पहुँच गई है। उपभोक्ता सूचकांक अक्टूबर में बीते साल की समान अवधि की तुलना में 3.2% ज्यादा रहा।

यहाँ राहत : भारत में खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से सितम्बर में महंगाई 4.35% रही। अगस्त में ये 5.3% थी। इससे पहले लगातार 4 महीने महँगाई 5% से ऊपर थी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 08.11.2021)

बिहार में बिजली दरें कम होंगी

बिजली कंपनी के नौवें स्थापना दिवस पर ऊर्जा सचिव सह सीएमडी ने दी जानकारी

आने वाले वर्षों में बिहार के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। इसके लिए टैरिफ के साथ ही स्लैब में भी बदलाव किया जाएगा। बिजली कंपनी ने इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। टैरिफ और स्लैब में बदलाव बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति के बाद ही होगा। एक नवम्बर को बिजली कंपनी के नौवें स्थापना दिवस के मौके पर ऊर्जा सचिव सह सीएमडी संजीव हंस ने यह जानकारी दी।

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएमडी ने कहा कि एक समय बिजली में 90 से अधिक श्रेणी हुआ करती थी। अब इसे तीन दर्जन पर लाया गया है। कंपनी की कोशिश होगी कि इस श्रेणी को आने वाले दिनों में और कम किया जाए। इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी। वहीं स्लैब में भी बदलाव किए जाएंगे। पहले चार-पाँच स्लैब हुआ करते थे। इसे अब तीन तक लाया गया है। आने वाले समय में दो और फिर एक स्लैब कर दिया जाएगा। एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है। सीएमडी ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से जुड़े सवालों पर साफ कहा कि यह पहले की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए अधिक हितकारी है। पहले मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं से पैसे लिए जाते थे। जबकि स्मार्ट मीटर कंपनी की ओर से निः शुल्क लगाया जा रहा है। बिजली बिल की परेशानी दूर हो गई है। कंपनी ने यह प्रावधान किया है कि आठ साल तक एजेंसी स्मार्ट मीटर का रखरखाव भी करेगी। मीटर रिचार्ज कराने पर तीन फीसदी की छूट दी जा रही है। पहले समय पर बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर ढाई फीसदी ही छूट दी जा रही थी। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बिजली बिल अधिक आ रहा है, वे अपने लोड का आकलन कर उसके अनुसार कनेक्शन का भार बढ़वा लें।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद कंपनी की आमदनी में 30 फीसदी तक की वृद्धि : सीएमडी ने कहा कि वैसे किसी तरह की परेशानी हो तो उपभोक्ता कंपनी कार्यालय के साथ ही 1912 पर भी शिकायत कर सकते हैं। जल्द ही उपभोक्ताओं के लिए एक टोल फ्री नंबर व कॉल सेंटर की सुविधा भी बहाल कर दी जाएगी जिससे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के उपभोक्ता कभी भी अपनी शिकायत कर सकेंगे। अभी ईईएसएल की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तीन लाख से अधिक लग चुके हैं। अगले चरण में ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुसार कंपनी ने वितरण कंपनियों को भी स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा दे दिया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद वैसे इलाकों से कंपनी की आमदनी में 30 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.11.2021)

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने को अनुमंडल स्तर पर बनाया जायेगा फोरम

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए कंपनी से लेकर अनुमंडल स्तर तक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में सूबे के सभी 20 सप्लाइ सर्किलों में एक-एक फोरम बनेगा, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार जिला स्तर तक विस्तार दिया जायेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इससे जुड़े मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए बिजली कंपनी को निर्देश दिया है।

कार्यपालक अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे चेयरमैन : आयोग के चेयरमैन शिशिर सिन्हा व सदस्य एससी चौरसिया ने अपने अंतरिम आदेश में

कहा है कि हर फोरम में एक चेयरमैन व दो सदस्य होंगे। इसमें चेयरमैन सहित एक सदस्य बिजली कंपनी में कार्यरत विद्युत कार्यपालक अभियंता स्तर से नीचे के पदाधिकारी नहीं होंगे। तीसरे स्वतंत्र सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति विज्ञापन निकाल कर की जायेगी। रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनजीओ या उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कम-से-कम पाँच साल का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को तीसरे सदस्य के रूप में आयोग के स्तर पर मनोनीत किया जायेगा।

तीन-तीन नामों का पैनल मांगा : विनियामक आयोग ने चेयरमैन व एक सदस्य की नियुक्ति के लिए बिजली कंपनी से हर फोरम के लिए तीन-तीन नामों का पैनल मांगा है। इसमें उनकी योग्यता, अनुभव और बैकग्राउंड का पूरा विवरण होगा। अभ्यर्थी को बिजली आपूर्ति के साथ ही उसके वितरण, अकाउंट, फिनांस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट व नियम तथा उपभोक्ता मामलों की जानकारी भी होनी चाहिए। आयोग पैनल में से उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर बिजली कंपनी को उसकी नियुक्ति के लिए अनुशंसित करेगा।

तीन साल के लिए होगी स्थायी नियुक्ति : आयोग ने कहा है कि तीनों सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिए स्थायी रूप से होगी। किसी सदस्य की अवधि खत्म होने के तीन महीने पहले से ही पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। विशेष कारणवश विलंब होने पर उनका कार्यकाल तीन महीने या अगले सदस्य के बहाल होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

इन सर्किलों में होगा गठन

साउथ बिहार : पेसू इस्ट, पेसू वेस्ट, पटना सर्किल, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई। **नॉर्थ बिहार :** समस्तीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, बेगूसराय।

(साभार : प्रभात खबर, 6.11.2021)

250 मेगावाट सोलर बिजली घर के लिए आगे आयीं दो कंपनियाँ

• बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम • तय समय से काम हुआ, तो मार्च 2023 तक बिहार में सोलर बिजली का उत्पादन होगा शुरू

बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली घर परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। दो एजेंसियों एजेवीएन और अवादा पावर ने इसमें दिलचस्पी दिखायी है। एजेंसियों का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की मंजूरी के बाद विभिन्न जिलों में सोलर बिजली घर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। सोलर इकाई के लिए बिहार रिन्यूअबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी (ब्रेडा) पिछले तीन साल से कोशिश में लगी थी, लेकिन तकनीकी जटिलताओं व अधिक दर के चलते बार-बार इसकी तिथि बढ़ती रही। ब्रेडा निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल है। इसके बाद भविष्य में और भी सोलर परियोजनाओं पर काम होगा।

एजेवीएन करेगी 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन : 250 मेगावाट में से 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन हिमाचल सरकार और केन्द्र सरकार का संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन करेगा। यह एजेंसी बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट की थर्मल इकाई पर काम कर रही है। एसजेवीएन ने मात्र 3.11 रुपये प्रति यूनिट सोलर बिजली देने का दर दिया है। एक निजी कंपनी अवादा पावर ने 100 मेगावाट सोलर बिजली घर लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसने 3.20 रुपये प्रति यूनिट का प्रस्ताव ब्रेडा को दिया है। मालूम हो कि बिहार में अभी 180 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन ही हो रहा है, जबकि नियमानुसार कुल खपत का 17 फीसदी गैर परंपरागत बिजली का होना जरूरी है।

गया, जमुई, औरंगाबाद में जमीन चिह्नित : अधिकारियों के मुताबिक एक मेगावाट सोलर बिजली के लिए औसतन चार-पाँच पकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से 250 मेगावाट के लिए 1000-1250 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन मिलने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए ब्रेडा ने एजेंसियों को कहा है कि वह कम से कम 50 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन कर सकता है। इतनी क्षमता के लिए 200 एकड़ से अधिक जमीन मिलने पर भी उत्पादन शुरू हो जायेगा। इतनी जमीन गया, जमुई, औरंगाबाद आदि इलाके में चिह्नित को गयी है।

आयोग की अनुमति के बाद एजेंसियों को एक महीने का समय : विनियामक आयोग से अनुमति मिलने के बाद एजेंसियों को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के लिए एक महीने का समय दिया जायेगा। काम शुरू करने के 18 महीने के भीतर सोलर बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। उम्मीद है कि नवंबर तक एजेंसियों का दर आयोग के स्तर पर फाइनल हो जायेगा। दिसम्बर-जनवरी तक पीपीए हो जायेगा। मार्च 2023 तक बिहार में सोलर बिजली का उत्पादन शुरू हो सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 8.11.2021)

बिहार का बढ़ गया बिजली का सेंट्रल कोटा, अब कम हुई बाजार पर निर्भरता

केन्द्र ने दी सूचना बिहार को 1 नवम्बर से शुरू हुई है बरौनी बिजलीघर से 610 मेगावाट बिजली की सप्लाई

बिहार के बिजली का सेंट्रल कोटा बढ़ गया है। बरौनी बिजलीघर का 250 मेगावाट बिहार के कोटा में स्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। केन्द्र ने बिहार को इसकी विधिवत सूचना दे दी है। पिछले दिनों बिहार को बरौनी बिजलीघर से 250 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है। एक नवम्बर से बरौनी बिजलीघर की यूनिट 9 से बिहार का बिजली मिल रही है। इस बिजली की सप्लाई के बाद बिहार का बिजली के लिए बाजार पर निर्भरता कम हो गयी है। 250 मेगावाट क्षमता के इस बिजलीघर की पूरी बिजली बिहार कोटे की है। पिछले दिनों बिजलीघर का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। सफल ट्रायल के बाद इसका वाणिज्यिक उत्पांदन शुरू हो गया है। बिजलीघर की यूनिट संख्या 8 का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया। इस यूनिट के बाद बरौनी से बिहार को 610 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है। बरौनी बिजलीघर की कुल क्षमता 720 मेगावाट है। इसमें दो चरणों में चार यूनिट शामिल हैं। इनमें स्टेज-1 के तहत यूनिट 6 और 7 हैं जो 110-110 मेगावाट क्षमता की है जबकि स्टेज-2 में 250-250 मेगावाट क्षमता की यूनिट 8 व 9 है। स्टेज-1 पहले की है जबकि इसका विस्तार करके स्टेज-2 बनाया गया है। स्टेज-1 की एक यूनिट से जबकि स्टेज-2 की दोनों यूनिटों से बिजली की आपूर्ति हो रही है। बरौनी बिजलीघर को बिहार ने एनटीपीसी के हवाले किया था। इसका ट्रांसफर वैल्यू 3441.60 करोड़ तय किया गया था। बिजलीघर 911.84 एकड़ में है और इसे गंगा नदी से पानी की आपूर्ति होती है।

निर्भरता कम होगी, महँगी बिजली से भी मिलेगी राहत : इन तीन बिजलीघरों के चालू होने के बाद बिहार की बाजार पर निर्भरता कम होगी। साथ ही बाजार से खरीदी जाने वाली महंगी बिजली से भी राहत मिलेगी। बिहार इस समय बाजार से महँगी बिजली खरीद रहा है। बरौनी से बिजली मिलने के बाद इसमें कमी आएगी।

सेंट्रल कोटा : 6741 में • थर्मल पावर : 4860 मेगावाट • पनबिजली : 753 मेगावाट • सौर ऊर्जा : 638 मेगावाट • पवन ऊर्जा : 500 मेगावाट

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.11.2021)

बाढ़ एनटीपीसी की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई से उत्पादन शुरू

सुविधा : बिहार का बिजली कोटा 401 मेगावाट बढ़ा

बाढ़ एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरा इकाई से कॉमर्शियल बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। बाढ़ परियोजना के कार्यकारी निदेशक व परियोजना प्रमुख एसएन त्रिपाठी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि तीसरी इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत के साथ ही एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट से बढ़ कर 1980 मेगावाट हो गयी है। स्टेज टू की कार्यरत 660 मेगावाट की दोनों इकाइयों से फिलहाल बिहार को तय आवंटन के हिसाब से 1198 मेगावाट से भी अधिक बिजली की आपूर्ति की जा रही है। देर रात इस यूनिट से अतिरिक्त 401 मेगावाट

बिजली की आपूर्ति होने से एनटीपीसी बाढ़ से बिहार का कोटा बढ़ कर करीब 1600 मेगावाट हो गया है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह युनिट बिहार में बिजली की खपत में लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने में निश्चित तौर पर सहायक होगी।

स्टेज वन की तीनों इकाइयों से 60% बिजली : बाढ़ एनटीपीसी पर्यावरणनुकुल सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की पाँच इकाइयों के साथ 3300 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली कोयला आधारित परियोजना है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की दोनों स्टेज से क्रमश: स्टेज-2 की 660 मेगावाट की दो इकाइयों से 90% तथा स्टेज-1 की 660 मेगावाट की तीनों इकाइयों से 60 % से भी अधिक बिजली गृह राज्य बिहार को आवंटित की है। शेष बिजली झारखण्ड, ओड़िशा और सिक्किम को आवंटित की गयी है। वर्तमान में एनटीपीसी के पूर्वी क्षेत्र-1 के तहत बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल में कुल आठ परियोजनाएं में से सात परियोजनाओं की 9960 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है, जबकि 4490 मेगावाट से भी अधिक की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में एनटीपीसी से बिहार को 4575 मेगावाट से भी अधिक का बिजली आवंटन है।

बीआरबीसीएल की 250 मेगावाट की चौथी यूनिट का हुआ अनिवार्य ट्रायल : औरंगाबाद स्थित भारतीय रेल बिजली कंपनी निगम (बीआरबीसीएल) की 250 मेगावाट की चौथी व अंतिम यूनिट भी तैयार हो गयी है। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने बताया कि इस यूनिट के 72 घंटे का अनिवार्य ट्रायल पूरा हो गया है। जल्द ही इस यूनिट से वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। यह यूनिट रेलवे और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है। इससे उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 90 फीसदी रेलवे को, जबकि 10 फीसदी बिहार सरकार को मिलनी है। ऐसे में बिहार को यहाँ से भी 25 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। मालूम हो कि सिर्फ नवम्बर में ही एनटीपीसी से बिहार को मिलने वाला बिजली का कोटा करीब 676 मेगावाट बढ़ गया है। इसमें 250 मेगावाट बिजली बरौनी एनटीपीसी से एक नवम्बर से और 401 मेगावाट बिजली बाढ़ एनटीपीसी से 12 नवम्बर से मिलने लगी है। बीआरबीसीएल से कोटे की 25 मेगावाट बिजली भी अगले हफ्ते-दो हफ्ते के अंदर बिहार को मिलने लगेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 12.11.2021)**

कोयले की आपूर्ति 27% बढ़ी

कोयले की कमी के कारण बिजली सेक्टर पर मंडराता संकट अब छंटने लगा है। कम कोयला स्टाक का सामना कर रहे देश के विभिन्न ताप बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है। हालिया आंकड़े बताते हैं बिजली की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे होते कोयले के बीच अक्टूबर, 2021 में बिजली क्षेत्र को 27.13 प्रतिशत ज्यादा कोयले की आपूर्ति की गई।

संकट से निजात : • लगातार बढ़ती मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने की कोशिश • अक्टूबर, 2021 में 5.97 करोड़ टन कोयले की हुई आपूर्ति • बिजली संयंत्रों के पास 18 दिन का स्टाक रखने की तैयारी

अन्य सेक्टर में कटौती : आंकड़ों के अनुसार, पिछले माह स्पंज आयरन सेक्टर को कोयले की आपूर्ति में 29.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 6.5 लाख टन से घटकर 4.6 लाख टन पर आ गई। सीमेंट क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 6.8 लाख टन से 4.7 लाख टन रह गई। इस्पात और सीमेंट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कोयले की आपूर्ति घटकर 41.9 लाख टन रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 67.1 लाख टन थी। **(दैनिक जागरण, 8.11.2021)**

औसत बिजली हानि के मामले में बिहार टॉप पाँच राज्यों में

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर आधी से कम हो जायेगी बिजली हानि

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से सूबे में बिजली की औसत तकनीकी एवं व्यावसायिक हानि (एटी एंड सी लॉस) में आधे से भी अधिक कमी आने का अनुमान है। फिलहाल सूबे को मिल रही कुल बिजली के लगभग 31 फीसदी हिस्से की औसत हानि हो रही है। मतलब 100 रुपये की बिजली की खरीद पर बिजली कंपनियों को अंतिम रूप से 69 रुपये का राजस्व ही मिल पा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की मदद से इस हानि को घटा कर 15 फीसदी तक लाने और राजस्व को 85 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली अनुदान में भी कमी आयेगी। मालूम हो कि औसत बिजली हानि के मामले में बिहार देश के पाँच बड़े राज्यों में शुमार है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के फायदे : • कागजी बिल उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी • मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से रिचार्ज करने की सुविधा • बिजली बिल की त्रुटियों से आजादी • आवश्यकतानुसार रिचार्ज की छूट मिलने से एकमुश्त बिल भुगतान से छुटकारा • मीटर रीडिंग व बिलिंग की समस्याएं भी कम होंगी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.11.2021)**

बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद भी पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी, बिल में 3 फीसदी की छूट भी दी जा रही

बिजली की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बिहार, ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने मीटर को बदलने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी

बिहार बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में अब राज्य के सभी (शहरी एवं ग्रामीण) विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके पहले चरण में शहरी उपभोक्ताओं के वर्तमान मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा रहा है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से अब तक तीन लाख 15 हजार से अधिक शहरी उपभोक्ताओं के पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जा चुका है। इतने बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने में भी बिहार सभी राज्यों से आगे है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने मीटर को बदलने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

एप से घर बैठे रिचार्ज करें : स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 'बिहार बिजली स्मार्ट मीटर' नामक एप बनाया गया है। इस एप के जरिये न सिर्फ अपने स्मार्ट मीटर को घर बैठे रीचार्ज किया जा सकता है, बल्कि दैनिक ऊर्जा खपत, दैनिक कटौती, मीटर में बची शेष राशि की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली की खपत को संतुलित करने में मदद मिल रही है। एप में बिल डाउनलोड करने और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.11.2021)**

खुशखबरी **जीआई टैग का रास्ता साफ, तेज होगा निर्यात**

बिहार के मखाना को वैश्विक पहचान जल्द

बिहार के मखाना को जल्द वैश्विक (ग्लोबल) पहचान मिलेगी। इसको जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया। केन्द्र सरकार के कंसल्टेटिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक कर सारी बाधाएँ दूर कर दी। बैठक में आवेदक के दावों पर सत्यता की मुहर लग गई। साथ ही इसकी विशेषताओं और उत्पाद के श्रोत से भी केन्द्र के अधिकारी अवगत हो गये। अब जल्द ही इस उत्पाद को **'बिहार का मखाना'** के रूप में जीआई टैग मिल जाएगा। उसके बाद इसका निर्यात भी तेज होगा।

टैग मिलने पर कहीं से होगी मार्केटिंग : मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद विश्व में कोई कहीं माकेटिंग करेगा तो वह बिहार के मखाना के नाम से जाना जाएगा, दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इस कृषि उत्पाद पर नहीं हो सकता। इसी के साथ राज्य के मखाना उत्पादकों को नया बाजार मिल जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। खेती भी बढ़ेगी।

जीआई टैग वाला होगा पाँचवाँ कृषि उत्पाद : मखाना को जीआई टैग मिला तो राज्य का यह पाँचवा कृषि उत्पाद होगा जो इस श्रेणी में आएगी। इसके पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान को जी

आई टैग मिल चुका है। इसके लिए तीन साल के अथक प्रयास के बाद कृषि सचिव डॉ. एन सरवण कुमार की पहल पर किसानों की संस्था का निबंधन हुआ था। बाद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय इसकी प्रक्रिया पूरी की।

मखाना में पोषक तत्व : • 362 किलो कैलोरी प्रति सौ ग्राम • 76.9 प्रतिशत कार्बोहाइड • 0.5 प्रतिशत मिनरल • 06 हजार टन होता है राज्य में मखाना का उत्पादन

विश्व का 85 फीसदी उत्पादन राज्य में : राज्य में मखाना का उत्पादन लगभग छह हजार टन होता है। यह विश्व में होने वाले उत्पादन का 85 प्रतिशत है। इसके अलावा शेष 15 प्रतिशत में जापान, जर्मनी, कनाड़ा, बंगला देश और चीन की हिस्सा है। विदेशों में जो भी उत्पादन होता है उसका बड़ा भाग चीन में होता है। लेकिन वहाँ इसक उपयोग केवल दवा बनाने के लिए होता है।

"मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। बायोटेक किसान हब के माध्यम से इसकी खेती हो रही है। सबौर मखाना वन प्रभेद विश्वविद्यालय में इजाद की गई है, जो उत्पादन के साथ क्वालिटी बढ़ाने में भी सहायक है।"

– डॉ. आर. के. सोहाने, प्रसार शिक्षा निदेशक, बीएयू।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.11.2021)

जमीन खरीदने को 16 सौ से अधिक भूमिहीनों को मिले 60-60 हजार

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत अब तक सूबे के 1603 भूमिहीनों को 60-60 हजार की सहयोग राशि जमीन खरीदने के लिए दी गई है। वहीं 2300 से अधिक लोगों का इस योजना के तहत पंजीकरण करा लिया गया है, जिन्हें शीघ्र ही राशि दी जाएगी। जिलों को ग्रामीण विकास विभाग का निर्देश है कि योजना के तहत लाभुकों के चयन में तेजी लायें। इस योजना में 20 हजार लोगों को राशि देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तीन जिलों में एक भी लाभुक नहीं : वास स्थल क्रय योजना के तहत कुछ जिलों का प्रदर्शन ठीक है तो कई जिले में स्थिति निराशाजनक है। सबसे अधिक 276 लाभुकों को यह राशि मुजफ्फरपुर जिले में दी गई है। वहीं सारण, दरभंगा और अरवल जिले में अबतक एक भी व्यक्ति को जमीन खरीदने के लिए सहायता राशि नहीं दी गई है। इसी प्रकार कटिहार में 258 और बांका में 106 व्यक्तियों को राशि दी गई है। अन्य सभी जिलों में लाभुकों की संख्या 100 से कम है।

किस जिले में कितनों को मिली राशि

अररिया :	28	कैमूर :	11	पूर्वी चंपारण :	33
अरवल :	0	कटिहार :	258	पूर्णिया :	16
औरंगाबाद :	83	खगड़िया :	40	रोहतास :	11
बांका :	106	किशनगंज :	06	सहरसा :	17
बेगूसराय :	83	लखीसराय :	09	समस्तीपुर :	93
भागलपुर :	94	मधेपुरा :	62	सारण :	00
भोजपुर :	16	मधुबनी :	70	शेखपुरा :	08
बक्सर :	33	मुंगेर :	06	शिवहर :	17
दरभंगा :	0	मुजफ्फरपुर :	276	सीतामढ़ी :	40
गया :	18	नालंदा :	21	सीवान :	11
गोपालगंज :	6	नवादा :	08	सुपौल :	43
जमुई :	16	पश्चिम चंपारण :	25	वैशाली :	10
जहानाबाद :	3	पटना :	26		

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.11.2021)

सीएमआईई की रिपोर्ट जारी

बिहार में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 3 फीसदी बढ़ी

ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से भारत में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। कोरोना की बंदिशों से उबरती अर्थव्यवस्था के साथ गाँवों में गैर-कृषि रोजगारों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की ओवरऑल बेरोजगारी बढ़ी है। देश की बेरोजगारी दर सितम्बर में तीन माह के न्यूनतम स्तर 6.86% पर थी जो अक्टूबर में बढ़कर 7.75% पर पहुँच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दरें सितम्बर में 10 फीसदी के करीब थी, जो अक्टूबर में बढकर 13.9 फीसदी हो गई है। राज्य में सितम्बर की तुलना में अक्टूबर में 3 फीसदी बेरोजगारी दरें बढ़ी है। जारी डेटा के मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.06% से बढ़कर 7.91% तक जा पहुँची है। जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.62% से घटकर 7.38% पर आ गई है। हालांकि गाँवों के हालात से बढ़ी ये बेरोजगारी दर अभी नीति निर्माताओं के लिए ज्यादा चिंतित करने वाली नहीं है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के बढ़ने से कारोबारी उम्मीदें 6 माह के उच्चतम स्तर पर हैं। **(साभार : दैनिक भास्कर, 2.11.2021)**

दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी केमिकल से गलाई जाएगी पराली

धान की फसल कटने के साथ ही राज्य में बायोडिकंपोजर का उपयोग शुरू होगा। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बायोडिकम्पोजर का ऑर्डर दे दिया है। खेतों में प्रत्यक्षण सफल हुआ तो किसानों को पराली प्रबंधन की इस नई योजना की जानकारी दी जाएगी। प्रयोग के अनुसार 15 दिन में ही पराली गलकर खाद बन जाती है। खाद बनने के बाद खेतों में बुआई की लागत भी कम हो जाएगी। राज्य में यह प्रयोग सफल हुआ तो बीस रुपये के कैप्सूल से ही पराली प्रबंधन की समस्या दूर हो जाएगी। 15 दिन में इस प्रयोग के बाद किसानों को न तो पराली जलाने की समस्या होगी और न ही काटकर खलिहान में ले जाने का खर्चा। साथ ही इस प्रयोग से सिंचाई के लिए पानी की भी आधी बचत होगी। यूरिया का छिड़काव भी कम करना होगा।

पराली से जुड़े आंकड़े : • 30 मिलियन टन होती है राज्य में पराली • 04 मिलियन टन पराली जला देते है खेतों में

एक टन पराली जलाने से नुकसान : • 03 किलो हानिकारक तत्व निकलते हैं • 60 किलो कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलता है • 01 हजार 460 किलो कार्बन डाई ऑक्साइड निकलता है • 02 किलो सल्फर डाई ऑक्साइड निकलता है **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.11.2021)**

गति शक्ति योजना में शामिल हो सकती है 1530 कि.मी. सड़क

भारतमाला फेज-2 के तहत सड़क के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय कर रहा अध्ययन

2 लाख कि.मी. का एनएच का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक देश में ख 56700 करोड का अनुमानित खर्च इस प्रोजेक्ट पर

केन्द्र की गति शक्ति योजना में बिहार की 1530 किसी नई सड़क निर्माण योजना को शामिल किया जा सकता है। इसके तहत सात सड़कों का निर्माण होना है। भारतमाला फेज-2 के तहत इन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बिहार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। फिलहाल वित्त मंत्रालय इसक अध्ययन कर रहा है। इसके बाद पुन: चार और सड़कों के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए थे।

गति शक्ति योजना के तहत दो लाख किमी एनएच नेटवर्क : गति शक्ति योजना के तहत मूल रूप से आधारभूत संरचना विकसित किए जाने का काम होना है। इसके अंतर्गत पूरे देश में दो लाख किमी राष्ट्रीय उच्च पथ का नेटवर्क वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाना है।

चार अन्य सड़कों का इस तरह किया गया चयन : भारतमाला फेज-2 के तहत जिन अन्य चार सड़कों का निर्माण गति शक्ति योजना में संभावित है उनमें **इंडो-नेपाल बार्डर रोड (552 किमी)** शामिल है। इसके निर्माण को संभावित लागत 21000 करोड़ है। दूसरी सड़क **दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर** हाईवे है। इसकी लंबाई 70 किमी है। इसके निर्माण की

संभावित लागत 2700 करोड़ रुपये है। **तीसरी सड़क सुल्लानगंज-देवघर हाईवे है।** यह सड़क मात्र 83 किमी लंबी है। इसकी निर्माण लागत 3200 करोड़ रुपए है। **चौथी सड़क मशरख-मुजफ्फरपुर हाईवे है।** यह केवल 55 किमी लंबी है।

सात सड़कों के प्रस्ताव में तीन राजधानी केंद्रित : भारतमाला श्रृंखला फेज-2 की जिन सात सड़कों का निर्माण गति शक्ति योजना के तहत कराए जाने की संभावना बन रही है उनमें तीन पटना केंद्रित है। **इनमें एक पटना -कोलकाता एक्सप्रेस-वे है।** इसकी लंबाई 450 किमी है। संभावित लागत 17900 करोड़ है। वैसे तो इसका मूल एलायनमेंट बिहारशरीफ से शुरू होना है पर इसे पटना से भी कनेक्टिवटी दी जानी है। **दूसरी सड़क बक्सर-जहानाबाद-बिहार शरीफ हाईवे है।** लंबाई 165 किमी है। संभावित लागत 4600 करोड़ रुपये है। पालीगंज के समीप यह पटना की सीमा से गुजरेगी। पूरी तरह से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। **तीसरी सड़क दिघवारा-रक्सौल हाईवे है।** इसकी लंबाई 135 किमी है। इसके निर्माण की संभावित लागत 5200 किमी है। **पटना के शाहपुर से दिघवारा के बीच गंगा पर बनने वाले पुल से इसे पटना की कनेक्टिवंटी मिल रही है।** **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.11.2021)**

एक साल में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना में बनाया रिकॉर्ड

देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बना, एक साल में सवा पाँच लाख से अधिक यात्रियों ने लाभ उठाया

केन्द्र सरकार की ओर से शुरू की गयी उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड बनाया है। पैसेंजर ग्रोथ में यह देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है। आठ नवम्बर, 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू की गयी थी। एक साल में सवा पाँच लाख से अधिक यात्री हवाई सेवा का लाभ उठा चुके हैं।

कोरोना महामारी के बावजूद पहले सात महीने में ही यात्रियों की संख्या ढाई लाख के पार चली गयी थी। दिनांक 8.11.2021 को पहली सालगिरह पर 16 फ्लाइट से 2411 लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन किया। शुरुआती दौर में लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कई सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहाँ का एयरपोर्ट भुवनेश्वर व रायपुर जैसे शहरों के एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा।

दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने के बाद से ही दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी व अररिया के यात्रियों का कई शहरों तक का सफर आसान हो गया। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा व सुपौल से भी काफी संख्या में यात्री नई दिल्ली, मुम्बई, बंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता व अहमदाबाद तक की यात्रा करने यहाँ पहुँच रहे हैं। नेपाल के तराई इलाकों से भी बड़ी संख्या में यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन कर रहे हैं। दुबई, कतर आदि जगहों पर काम करने वाली दरभंगा जिले की बड़ी आबादी को भी व्यावसायिक उड़ाने शुरू होने से काफी लाभ पहुँच रहा है।

"दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी से आसपास के जिलों में परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा हुए हैं। इस एयरपोर्ट के कारण आने वाले वर्षों में मिथिला में औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए भी बेहतर माहौल बनेगा। दरभंगा में एम्य के निर्माण के बाद यहाँ हवाई मार्ग से देश-दुनिया के विशेषज्ञ डॉक्टरों का भी आना-जाना होगा।

– संजय झा, जल संसाधन मंत्री

व्यवसायी जगत में हर्ष और उत्साह की लहर : दरभंगा हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने के एक वर्ष पूरे होने पर व्यवसायी जगत में हर्ष एवं उत्साह की लहर है। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कहा कि दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान स्कीम में 63 एयरपोर्ट खुले।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.11.2021)

टैक्स की हेराफेरी पकड़े जाने पर फर्म के सीए से भी होगी पूछताछ

आयकर विभाग की कार्ययोजना तैयार, जल्द होगी कार्रवाई

आयकर विभाग का अब जिन फर्म या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रेड होगी और वहाँ से बड़े स्तर पर गड़बड़ी या टैक्स की हेराफेरी के दस्तावेज मिलते हैं। इनका नियमित ऑडिट करने वाले सीए से भी पूछताछ की जायेगी। किसी फर्म में टैक्स की करोड़ों रुपये की हेराफेरी होती है, तो ऑडिट की रिपोर्ट में इस पर सवाल क्यों नहीं उठाये गये या इन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बातें संबंधित सीए या ऑडिट करने वाले फर्म से पूछे जायेंगे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 3.11.2021)**

दरभंगा से चेन्नई और अहमदाबाद की सीधी उड़ान सेवा फिलहाल बंद, विमानों का समय भी बदला

दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइटों के समय में परिवर्तन किया गया है। चेन्नई और अहमदाबाद की सीधी उड़ान सेवा फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से बंद कर दी गई है। लेकिन दरभंगा से अहमदाबाद और चेन्नई के लिए कनेक्टिंग उड़ान सेवा रहेगी। शेष जगहों के लिए उड़ान सेवा जारी रहेगी।

1 नवम्बर से लागू होने वाले बदलाव के बाद विमानों की समय सारिणी

कहाँ से कहाँ तक	31.10.2021	1.11.2021
दरभंगा/अहमदाबाद	11:00/11:30	दरभंगा से उड़ान बंद
दरभंगा/मुम्बई	1:50/2:30	10:45/11:00
दरभंगा/बेंगलुरू	12:15/12:45	11:35/12:05
दरभंगा/हैदराबाद	12:15/12:45	2:25/2:55
दरभंगा/दिल्ली	12:50/1:30	12:50/1:30
दरभंगा/मुम्बई	1:50/2:30	3:50/4:20
दरभंगा/कोलकाता	2:25/2:55	12:20/12:55
दरभंगा/दिल्ली	2:55/3:25	3:20/3:55
दरभंगा/बेंगलुरू	3:20/3:50	2:50/3:20
दरभंगा/कोलकाता	4:00/4:30	2:00/2:30

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.11.2021)

पटना से 10 जोड़ी नयी फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए अब सीधी उड़ान

अब 65 जोड़ी हो गयी है फ्लाइटों की संख्या

पटना एयरपोर्ट से 10 जोड़ी नयी फ्लाइटों का परिचालन शुरू हुआ है। अब चंडीगढ के लिए यहाँ से सीधी उड़ान शुरू हुई है।

वहीं, सूरत की विमान सेवा बंद हो गयी है। अब यहाँ से शेडयूल फ्लाइटों की संख्या 55 की जगह 65 जोड़ी हो गयी है। 30 नवम्बर तक यह नया फ्लाइट शेडयूल लागू रहेगा।

एयरलाइंस	पहले	अभी	अंतर
इंडिगो	26	32	6
गो एयर	7	11	4
एयर इंडिया	5	7	2
स्पाइ सजेट	15	13	2
विस्तारा	2	2	0
कुल	55	65	10

(विस्तृत : प्रभात खबर, 2.11.2021)

सभी जिलों में मार्च तक खुलेंगे दो सीएनजी स्टेशन

राज्य में सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने मार्च 2022 तक हर जिले में कम-से-कम दो-दो सीएनजी स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है। नये सीएनजी स्टेशन की स्थापना व पाइपलाइन के विस्तार के संबंध में परिवहन विभाग ने गेल, आइओसीएल, थिंक गैस, आइओएजीपीएल

सीएनजी प्रोवाइडर्स के साथ भी समीक्षा बैठक की है। इसके बाद हर जिले में सीएनजी स्टेशन खोलने की प्रक्रिया तेज करने का दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। लगभग 10 हजार से अधिक सीएनजी वाहनों का परिचालन हो रहा है। वहीं, लोगों में सीएनजी वाहनों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। इसे देखने हुए जिलों में सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग अब गुड्स व्हीकल की भी सीएनजी के लिए प्रमोट करेगा।

अगले दो माह में यहाँ खुलेंगे स्टेशन : विभाग के मुताबिक दिसम्बर तक औरंगाबाद, कैमूर व मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में 21 नये सीएनजी स्टेशन खोले जायेंगे। इसके बाद पटना में 18 सीएनजी स्टेशन हो जायेंगे। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गया में सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की तेज की गयी है।

"सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को आसानी से सीएनजी मिल सके, इसी कड़ी में आने वाले समय में सभी जिलों में दो-दो स्टेशन खोले जायेंगे।"

– संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग,

(साभार : प्रभात खबर, 7.11.2021)

GOVT MAY BAN NON-AUDIT SERVICES TO AUDIT CLIENTS

Move will improve corporate governance, address conflict of interest concerns

Firms auditing the accounts of public-interest entities such as listed or large unlisted companies could be debarred from providing non-audit services to them.

Government sources said they were considering this move, which would improve corporate governance and address conflicts of interest that arose when the same firm provided audit and non-audit services to a company.

This will, however, require a change in the companies Act. The corporate affairs ministry could push for this change in the next round of amendments to company law, according to a senior official.

"While providing audit services, the same firm should not also be involved in management consultancy or fundraising activities," the official added.

WHAT ARE NON-AUDIT SERVICES

• Accounting and bookkeeping services • Internal audit • Design and implementation of any financial information system • Actuarial services • Investment advisory services • Investment banking services • Rendering of outsourced financial services • Management services. **(Details : Business Standard, 7.11.2021)**

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए एक विशेष पहल

"हमारी सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे उद्यगों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनें" **– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी**

PMFME (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज) स्कीम के अंतर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए एवं 35% की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए हमारे पोर्टल www.pmfme.mofpi. gov. in पर ऑनलाइन आवेदन करें

जिससे 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को होगा लाभ

PMFME स्कीम के फायदे

• बैंक से लोन लेने पर पाएँ 35% सब्सिडी (अधिकतम रु 10 लाख) • जिले के ODOP उत्पाद के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध • ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता

Phone : 01302281089 **(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2021)**

भूजल का आहरण करने वाले उपयोगकर्ताओं/उद्योगों के लिए आवश्यक सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. संख्या-204/205/206 में निष्कर्षण (Extraction) के लिए ट्यूबवेल अथवा कोई भी अन्य साधन संचालित कर रहा हो तथा सभी नये/ मौजूदा तथा विस्तार मांगने वाले उद्योगो; अवसंरचनात्मक (Infrastructural) परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं (निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर) को 'केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण' (Central Ground Water Authority) की वेब आधारित एप्लीकेशन प्रणाली के माध्यम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC)प्राप्त करना अपेक्षित है।

उपभोक्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को भूजल निकासी के लिए एन. ओ. सी. (NOC)प्राप्त करने से छूट है:-

(I) व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेजयल और घरेलू उपयोग के लिए;
(ii) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाऐं;
(iii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में सशस्त्र-बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल;
(iv) कृषि क्रियाकलाप एवं
(v) 10 घनमीटर (Cu.m) प्रतिदिन से कम भूजल आहरण करने वाले माइक्रो और स्मॉल उद्योग।

ज्ञात हो कि 'केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण' (Central Ground Water Authority) का गठन सम्पूर्ण भारत में भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-S.O. **38** (E) दिनांक : **14 जनवरी, 1997** द्वारा किया गया है। भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचना संख्या - **S.O. 3289** (E) दिनांक **20.09.2020** निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:- https://cgwa-noc.gov.in/Landingpage/Guidlines/Newguldelines notified 250920.pdf #ZOOM= 100

बिहार राज्य में स्थित औद्योगिक / अवसंरचनात्मक /खनन परियोजनाओं सहित वैसे सभी उपयोगकर्त्ता जो भूजल निकाल रहे हैं, चाहे वह मौजूदा हों या नये, जिन्हें दिशा-निर्देशों के अनुसार एन.ओ.सी प्राप्त करना अनिवार्य है, द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के ऑनलाईन पोर्टल https://cgwa-noc.gov.in के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) आवेदन दिया जा सकता है।

इस संबंध में बिहार राज्य के लिए क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, मध्य-पूर्वी क्षेत्र, लोक नायक जयप्रकाश नारायण भवन, 6-7 वा तल, डालबंगला चौराहा, पटना- 800001 के कार्यालय को सम्पर्क किया जा सकता है।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

दूरभाष नं. - 0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in • वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.11.2021)

प्रेस विज्ञपित

बिहार सरकार

कृषि विभाग (माप-तौल संभाग)

साधारणतया व्यापारी/ व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा मिठाई, कपड़ा, फल, सोना, चाँदी, रत्न के विक्रय हेतु इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तुला एवं मीटर का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में माप-तौल विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का जाँचोपरान्त सत्यापन एवं मुहरांकन किया जाता है।

इस त्योहार के मौसम में यदि आप मिठाई, फल, सोना, चाँदी, रत्न, कपड़ा खरीद रहें हैं तो दुकान में यह अवश्य जाँचे:-

व्यापारियों को माप-तौल संभाग द्वारा प्रदत्त सत्यापन प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। उपभोक्तागण निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र अवश्य देख लें एवं सुनिश्चित हो लें की निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र वैधता अवधि के अन्तर्गत है।

तौल करने से पहले सूचक (डिस्पले) शून्य पर हों एवं अस्थिर न हो।

तौल मशीन के सही होने की पुष्टि सत्यापित वाट तौलकर की जा सकती है।

सोना, चाँदी, रत्न दुकानदार से प्रथम अथवा द्वितीय शुद्धता श्रेणी वाली इलेक्ट्रॉनिक तौलन मशीन तथा A और B शुद्धता श्रेणी वाली तुला से हीं खरीदें।

विभाग का डबल वायर सील, सत्यापन तिथि डाइज, प्लग्स, निरीक्षक नंबर पंच का निशान अवश्य देख लें।

मिठाई का वजन में डब्बा का वजन सन्हित (शामिल) नहीं होता है, उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर ले कि मिठाई का वजन में डब्बा का वजन में समाहित तो नही है?

तराजू में पसंगा, पलड़ा के नीचे चुम्बक तथा काउन्टर स्केल में सिक्का इत्यादि फंसा हुआ तो नही है सभी उपकरण माप-तौल कार्यालय से सत्यापित होना चाहिए, वाट में लोहे के पुराने, पत्थर के या अन्य अमानक वाटों से वस्तु न खरीदें एवं वाटों के नीचे छिद्र में शीशे पर माप-तौल कार्यालय की मुद्रा लगी होती है। देखें की वाटों के नीचे छिद्र से हीं शीशा तो नहीं निकला है अथवा अन्य किसी वस्तु से छिद्र भर कर वाटों का वजन कम तो नहीं किया जाता है।

कपड़ा खरीदते समय यह देखें कि मीटर के दोनों सिरों पर तीर के निशान है। यह देखे कि मीटर हाथ से दबाकर आड़ा, तिरछा या कम तो नहीं किया गया है। यह देखे कि कपड़ा खींचकर तो नहीं मापी जा रही है।

यदि आप असंतुष्ट हैं तो शिकायत दर्ज करें।

Email-Id - clmbiharpatna@gmail. com
Website : www.maaptaul.bih.nic.in

(साभार : प्रभात खबर, 7.11.2021)

स्वास्थ्य विभाग का वाट्सएप चैटबॉक्स शुरू

वैक्सीन से जुड़ी जानकारी अब वाट्सएप पर मिलेगी

बिहार में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारी अब वाट्सएप से मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वाट्सएप चैटवॉट-वैक्सीन मित्र का शुभारंभ किया गया। विभाग की ओर से इसके लिए वाट्सएप से समझौता किया गया है। इस चैट बॉक्स के माध्यम से लोग वैक्सीन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी 5 वाट्सएप नंबर के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। इनमें 9431025555, 9431401111, 9431421111, 9430000102 एवं 9431035555 में किसी भी नंबर पर hi संदेश भेजने पर कोविड टीकाकरण से संबंधित जानकारियाँ मिल जाएँगी। इन जानकारियों में नजदीकी टीकाकरण केन्द्र की जानकारी, जागरूकता संबंधी जानकारी व अन्य जानकारियां प्राप्त हो सकती है। यह डिजिटलाइजेशन की एक नई पहल है, जिससे सहजतापूर्वक टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि वैंक्सीन मित्र टीकाकरण से संबंधित जानकारी नागरिकों को डिजिटल रूप से सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.11.2021)**

2030 तक होगी ताजे पानी की कमी

हवा से पानी बनाने की तकनीक पर हो रहा काम

• 40% तक कम हो सकती है 2030 तक ताजे पानी की कमी • 2.2 अरब लोगों तक पीने के पानी की सेवाओं तक पहुँच नहीं है • 4.2 अरब लोगों के पास सैनिटेशन सेवाओं तक पहुँच नहीं है • 03 अरब लोगों के पास दुनिया भर में हाथ धोने तक की सुविधा नहीं • 03 में से एक व्यक्ति के पास सुरक्षित पीने के पानी तक पहुँच नहीं है

दुनिया में जलवायु परिवर्तन के अलावा भी कई समस्याएँ हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इनमें एक पीने के पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। दुनिया भर में ताजे पानी के स्रोतों की मात्रा 2030 तक 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र तक ने इसे एक बहुत बड़ी समस्या माना है और इसके कारण अब दुनिया में बहुत से लोगों को विस्थापित तक होना पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक अब हवा से ही पानी हासिल करने का तकनीक विकसित करने की योजना बना रहे हैं।

संघनन पर आधारित मॉडल : ये वायुमडलीय पानी के हार्वेस्टर पानी को बचाने वाले इस द्रव्य को ऐसी जगहों में भी हवा से निकाल सकेंगे जहाँ साफ पानी तक पहुँच की स्थिति बहुत खराब है। एक्स मूनशॉट फैक्ट्री के जैक्स लॉर्ड के शोधकर्ताओं ने इस हार्वेस्टर को डिजाइन किया है और इसका प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार कर लिया है जो सौर ऊर्जा पर चलता है और संघनन प्रक्रिया के छोटे पैमाने पर काम करता है। **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 6.11.2021)**

शहरी क्षेत्र में आबादी 2020

भारत	34.93 फीसद	सऊदी अरब	84.29 फीसद
पाकिस्तान	37.16 फीसद	ब्रिटेन	83.90 फीसद
चीन	61.43 फीसद	अमेरिका	82.66 फीसद
अर्जेंटीना	92.11 फीसद	कनाडा	81.56 फीसद
जापान	91.78 फीसद	फ्रांस	80.97 फीसद
आस्ट्रेलिया	86.24 फीसद	रूस	74.75 फीसद

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.11.2021)

अब अग्निशमन विभाग वाट्सएप से करेगा शंकाओं का समाधान

पटना का अग्निशमन विभाग वाट्सएप ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहा है। इस ग्रुप से अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के जुड़े होने के साथ ही होटल , शापिंग माल, अस्पताल व बड़े भवनों के मालिकों को भी जोड़ा जाएगा। किसी भी तरह की जरूरत अथवा शंकाएं होने पर लोग वाट्सएप ग्रुप पर तुंरत जानकारी मांग सकेंगे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी उन्हें वाट्सएप के माध्यम से जरूरी जानकारी साझा करने के अलावा उन्हें उचित सलाह देंगे। वाट्सएप ग्रुप का नाम क्या होगा इसपर फिलहाल विचार किया जा रहा है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद ने कहा कि विभाग ने सकारात्मक पहल की है। वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिलते ही वाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। इसका खासा फायदा भवन मालिकों को होगा। **(दैनिक जागरण, 7.11.2021)**

आग लगे तो फायर स्टेशन को करें फोन

लोदीपुर	9473199838	पालीगंज	7485805918
सचिवालय	9473199837	फायर ब्रिगेड	101
फुलवारीशरीफ	7485806113	डायल	100
कंकड़बाग	9473199834	जिला नियंत्रण कक्ष	0612-2219810
पटना सिटी	9473199836	पुलिस नियंत्रण कक्ष	0612-2201977
दानापुर	9473199832	फायर नियंत्रण कक्ष	7485805818
बाढ़	7485805823	फायर नियंत्रण कक्ष	0612-2222223
मसौढ़ी	7485805894		

(साभार : प्रभात खबर, 4.11.2021)

CBEC-20/16/05/2021-GSR/1552/02.11.2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing
New Delhi, dated 2nd November

To,

The Principal Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners /Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Directors General/Directors General (All)

Madam/Sir,

Subject: Guidelines for disallowing debit of electronic credit ledger under Rule 86A of the CGST Rules, 2017 -Reg.

Rule 86A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter retbrred to as "the Rules") provides that in certain circumstances, Commissioner or an officer authorised by him, on the basis of reasonable belief that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, may not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger.

2. Doubts have been raised by the field formations on various issues pertaining to disallowing debit of input tax credit from electronic credit ledger, under rule 86A of the Rules. Further, Hon'ble High Courts in some cases have emphasized the need for laying down guidelines for the purpose of invoking rule 86A. In view of the above, the following guidelines are hereby issued with respect to exercise of power under rule 86A of the Rules:

3.1 Grounds for disallowing debit of an amount from electronic credit ledger:

3.1.1 Rule 86A of the Rules is reproduced hereunder for reference:

"86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-

(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as –

a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 -

i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

ii. without receipt of goods or services or both; or

b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been poid to the Government; or

c) the registered person ovailing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36 may for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (l) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction."

3.1.2 Perusal of the rule makes it clear that the Commissioner, or an officer authorised by him, not below the rank of Assistant Commissioner, must have "reasons to believe" that credit of input tax available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by the registered person, before disallowing the debit of amount from electronic credit ledger of the said registered person under rule 86A. The reasons for such belief must be based only on one or more of the following grounds:

a) The credit is availed by the registered person on the invoices or debit notes issued by a supplier, who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration.

b) The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes, without actually receiving any goods or services or both.

c) The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes, the tax in respect of which has not been paid to the government.

d) The registered person claiming the credit is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration.

e) The credit is availed by the registered person without having any invoice or debit note or any other valid document for it.

3.1.3 The Commissioner, or an officer authorised by him, not below the rank of Assistant commissioner, must form an opinion for disallowing debit of an amount from electronic credit ledger in respect of a registered person, only after proper application of mind considering all the facts of the case, including the nature of prima facie fraudulently availed or ineligible input tax credit and whether the same is covered under the grounds mentioned in sub-rule (l) of rule 86A, as discussed in para 3.1.2 above; the amount of input tax credit involved; and whether disallowing such debit of electronic credit ledger of a person is necessary for restricting him from utilizing/ passing on fraudulently availed or ineligible input tax credit to protect the interests of revenue.

3.1.4 It is reiterated that the power of disallowing debit of amount from electronic credit ledger must not be exercised in a mechanical manner and careful examination of all the facts of the case is important to determine case(s) fit for exercising power under rules 86A. The remedy of disallowing debit of amount from electronic credit ledger being, by its very nature, extraordinary, has to be resorted to with utmost circumspection and with maximum care and caution. It contemplates an objective determination based on intelligent care and evaluation as distinguished from a purely subjective consideration of suspicion. The reasons are to be on the basis of material evidence available or gathered in relation to fraudulent availment of input tax credit or ineligible input tax credit availed as per the conditions/ grounds under sub rule(l) of rule 86A.

3.2 Proper authority for the purpose of Rule 86A:

3.2.1 The Commissioner (including Principal Commissioner) is the proper officer for the purpose of exercising powers for disailowing the debit of amount from electronic credit ledger of a registered person under rule 86A. However, commissioner/ Principal commissioner can also authorize any officer subordinate to him, not below the rank of Assistant Commissioner, to be the proper officer for exercising such power under rule 86A. It is advised that Commissioner/ Principal Commissioner may authorize exercise of powers under rule 86A based on the following monetary limits as mentioned below:

Total amount of ineligible fraudulently availed input tax credit	Officer to disallow debit of amount from electronic credit ledger under rule 86A
Not exceeding Rupees 1 crore	Deputy Commissioner / Assistant Commissioner
Above Rupees 1 crore but not exceeding Rs 5 crore	Additional Commissioner / Joint Commissioner
Above Rs 5 crore	Principal Commissioner / Commissioner

3.2.2 The Additional Director General /Principal Additional Director General of DGGI can also exercise the powers assigned

to the Commissioner under rule 86A. The monetary limits for authorization for exercise of powers under rule 86A to the officers of the rank of Assistant Director and above of DGGI by the Additional Director General /Principal Additional Director General may be same as mentioned for equivalent rank of officers in the table in para 3.2.1 above.

3.2.3 Where during the course of Audit under section 65 or 66 of CGST Act,2017 it is noticed that any input tax credit has been fraudulently availed or is ineligible as per the grounds menrioned in sub-rule (l) of rule 86A, which may require disallowing debit of electronic credit ledger under rule 86A, the concerned Commissioner/Principal Commissioner of CGST Audit Commissionerate may refer the same to the jurisdictional CGST Commissioner for examination of the matter for exercise of power under rule 86A.

3.3 Procedure for disallowing debit of electronic credit ledger/blocking credit under Rule 86(A):

3.3.1 The amount of fraudulently availed or ineligible input tax credit availed by the registered person, as per the grounds mentioned in sub-rule (l) of rule 86A, shall be prima facie ascertained based on material evidence available or gathered on record. It is advised that the powers under rule 86A to disallow debit of the amount from electronic credit ledger of the registered person may be exercised by the Commissioner or the officer authorized by him, as per the monetary limits detailed in Para 3.2.1 above. The officer should apply his mind as to whether there are reasons to believe that the input tax credit availed by the registered person has either been fraudulently availed or is ineligible, as per conditions/grounds mentioned in sub-rule (1) of rule 86A and whether disallowing such debit of electronic credit ledger of the said person is necessary for restricting him from utilizing/passing on fraudulently availed or ineligible input tax credit to protect the interests of revenue. Such "Reasons to believe" shall be duly recorded by the concerned officer in writing on file, before he proceeds to disallow debit of amount from electronic credit ledger of the said person.

3.3.2 The amount disallowed for debit from electronic credit ledger should not be more than the amount of input tax credit which is believed to have been fraudulently availed or is ineligible, as per the conditions/ grounds mentioned in sub-rule (l) of rule 86A.

3.3.3 The action by the commissioner or the authorized officer, as the case may be, to disallow debit from electronic credit ledger of a registered person, is informed on the portal to the concerned registered person, along with the details of the officer who has disallowed such debit.

3.4 Allowing debit of disallowed/ restricted credit under sub-rule (2) of Rule 86A:

3.4.1 The commissioner or the authorized officer, as the case may be, either on his own or based on the submissions made by the taxpayer with material evidence thereof, may examine the matter afresh and on being satisfied that the input tax credit, initially considered to be fraudulently availed or ineligible as per conditions of sub-rule (l) of rule 86A, is no more ineligible or wrongly availed, either partially or fully, may allow the use of the credit, so disallowed/restricted, up to the extent of eligibility, as per powers granted under sub-rule (2) of rule 86A. Reasons for allowing the debit of electronic credit ledger, which had been earlier disallowed, shall be duly recorded on file in writing, before allowing such debit of electronic credit ledger.

3.4.2 The restriction imposed as per sub-rule (l) of rule 86A shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction. In other words, upon expiry of one year from the date of restriction, the registered person would be able to debit input tax credit so disallowed, subject to any other action that may be taken against the registered person.

3.4.3 As the restriction on debit of electronic credit ledger under sub-rule (l) of rule 86A is resorted to protect the interests of the revenue and the said action also has bearing on the working capital of the registered person, it should be endeavored that in all such cases, the investigation and adjudication are completed at the earliest, well within the period of restriction, so that the due liability arising out of the same can be recovered from the said taxable person and the purpose of disallowing debit from electronic credit ledger is achieved.

4. Difficulty, if any, in implementation of the above guidelines may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

sd/-
(Sanjay Mangal)
Principal Commissioner (GST)

Copy to : l. The Joint secretary, GST Council Secretariat, New Delhi. He may consider circulating the same to all states for information and necessary action at their end.

Cabinet approves mechanism for procurement of ethanol by Public Sector Oil Marketing Companies under Ethanol Blended Petrol programme revised-ethanol price for supply to Public Sector OMCs for Ethanol Supply Year 2021-22

Posted On : 10 NOV 2021 3:46PM by PIB Delhi

The Cabinet Committee on Eeonomic Affairs chaired by Prime Minister, Shri Narendra Modi, has given its approval for fixing higher ethanol price derived from different sugarcane based raw materials under the EBP Programme for the forthcoming sugar season 2020-21 during ESY 2020-21 from 1 st December 2020 to 30th November 2021.

Approval is also given for the following:

(i) The Price of ethanol from C heavy molasses route be increased from Rs. 45.69 per litre to Rs. 46.66 per litre.

(ii) The price of ethanol from B heavy molasses route be increased from Rs. 57.61 per litre to Rs. 59.08 per litre,

(iii) The price of ethanol from sugarcane juice, sugar/ sugar syrup route be increased from Rs. 62.65 per litre to Rs. 63.45 per litre,

(iv) Additionally, GST and transportation charges will also be payable.

(v) Government has decided that Oil PSEs should be given the freedom to decide the pricing for 2G ethanol as this would help in setting up advanced biofuel refineries in the country. It is important to note that grain-based ethanol prices are currently being decided by Oil Marketing Companies (OMCs) only.

The approval will not only facilitate the continued policy of the Government in providing price stability and remunerative prices for ethanol suppliers, but will also help in reducing the pending arrears of Cane farmers, dependency on crude oil imports and will also help in savings in foreign exchange and bring benefits to the environment.

The decision to allow Oil PSEs to decide the price of 2G ethanol would facilitate setting up advanced biofuel refineries in the country.

All distilleries will be able to take benefit of the scheme and large number of them are expected to supply ethanol for the EBP Proramme.

Government has been implementing Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme wherein Oil Marketing Companies (OMCs) sell petrol blended with ethanol up to 10%. This programme has been extended to whole of India except Union Territories of Andaman Nicobar and Lakshadweep islands with effeet from 1st April. 2019 to promote the use of alternative and environment friendly fuels. This intervention also seeks to reduce import dependence for energy requirements and give

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राम दयाल मस्करा पंचतत्व में विलीन

चैम्बर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री राम दयाल मस्करा जी (98) का निधन दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को कोलकाता में हो गया। उनके निधन के समाचार से चैम्बर एवं उद्योग जगत मर्माहत हो उठा।

स्व० मस्करा एक मृदुभाषी, दयालु एवं परोपकारी व्यक्ति थे। दिनांक 13 नवम्बर, 2021 को चैम्बर में बैठक कर, दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से स्व० मस्करा जी की आत्मा को चिरस्थायी शांति और उनके परिजनों का इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी ।

स्व० मस्करा जी सत्र 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1999-2000 एवं 2000-01 में चैम्बर के गरिमामय उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे श्री गौरी शंकर राइस मिल्स, सहरसा एवं महावीर इण्डस्ट्रीज, बेगूसराय से चैम्बर के सदस्य थे। वे बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना के 1994-96 तक अध्यक्ष रहे।

स्व० मस्करा जी बेगूसराय नगरपालिका के सात वर्षों तक चेयरमैन रहे। अग्रसेन मातृ सेवा सदन (अस्पताल), बेगूसराय के संस्थापक ट्रस्टी भी थे।

स्व० मस्करा जी कई अन्य सामाजिक संस्थाओं यथा अखिल भारतीय मारवाड़ी फेडरेशन, मारवाड़ी सम्मेलन फाउंडेशन ट्रस्ट के भी सम्मानित सदस्य थे।

उनकी मान्यता थी कि प्रबन्धन कुशलता और उद्योग संचालन मुख्यतः एक मानवीय सम्बन्ध है, एक चारित्रिक गुण है, जिसका प्रभावकारी सम्पादन करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । प्रतिकूल परिस्थितियों एवं विपरीत शक्तियों के मध्य अपने उद्योग-व्यापार का अस्तित्व अक्षुण्ण रखने वाले तथा उसका सदैव विकास हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाले प्रतिभावान राम दयाल मस्करा जी यों तो हमारे बीच नहीं रहे, परन्तु वे उद्योग जगत एवं समाज के हृदय में सदैव जीवित रहेंगे।

चैम्बर में उपाध्यक्ष पद के कार्यकाल में स्व० मस्करा जी के कार्य चैम्बर के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

boost to agriculture sector.

Government has notified administered price of ethanol since 2014. For the first time during 2018, differential price of ethanol based on raw material utilized for ethanol production was announced by the Government. These decisions have significantly improved the supply of ethanol thereby ethanol procurement by Public Sector OMCs has increased from 38 crore litre in Ethanol Supply Year (ESY) 2013-14 to contracted over 350 crore litre in ongoing ESY 2020-21.

With a view to provide long term perspective to the stake holders, MoP&NG has published "Ethanol Procurement Policy on a long-term basis under EBP Programme." In line with this, OMCs have already completed the one-time registration of ethanol suppliers. OMCs have also published the names of eligible project proponents with whom long term agreements would be entered into for setting up ethanol plants in ethanol deficit slates. Other prominent feature to provide long term perspective and attract investment includes directing OMCs to target 10% ethanol blending in petrol by the end of ensuing ESY 2021-22 and 20% by ESY 2025-26. As a step in this direction, Hon'ble Prime Minister has released the Report of Expert Committee on "Roadmap for ethanol blending in India 2020-25" on World Environment Day - 5lh of June, 2021. All these would facilitate ease of doing business and achieve the objectives of Atmanirbhar Bharat initiatives.

Consistent surplus of sugar production is depressing sugar price. Consequently, sugarcane farmer's dues have increased due to lower capability of sugar industry to pay the farmers. Government has taken many decisions for reduction of cane farmer's dues. With a view to limit sugar production in the Country and to increase domestic production of ethanol. Government has taken multiple steps including, allowing diversion of B heavy molasses, sugarcane juice, sugar and sugar syrup for ethanol production. Now, as the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane and ex-mill price of sugar have undergone changes, there is a need to revise the ex-mill price of ethanol derived from different sugarcane based raw materials.

Further, to kick-start the Second Generation (2G) ethanol programme (which can be produced from agricultural and forestry residues, e.g. rice & wheat straw/corn cobs & Stover/bagasse, woody biomass), few projects are being set up by Oil PSEs taking financial assistance from the Government's "Pradhan Mantri JI-VAN Yojana" approved by the CCEA in the past. These projects are likely to start commissioning from ensuing ESY 2021-22, thus a decision on 2G ethanol pricing is desired.

(Release ID : 1770518) PIB

आवश्यक सूचना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से मेदांता दी-मेडीसिटी, गुडगॉव के साथ पूर्व में जो Tie-up था उसे मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया है साथ ही पूर्व में चैम्बर सदस्यों को जो 10% का Rebate दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

यह सुविधा चैम्बर के सदस्यों के लिए है और उसका Unique Code IT666 है। यदि कभी वहाँ इलाज की आवश्यकता हो तो इस यूनिक कोड का उपयोग कर सकते हैं। किसी-किसी मामले में मेदांता दी-मेडीसिटी की ओर से आपसे चैम्बर का Authentication की मांग की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप चैम्बर कार्यालय से सम्पर्क कर Authentication Letter प्राप्त कर सकते हैं।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296